I/103949/2023

उत्तराखण्ड शासन,
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्याः 245 / XXIV-C-3 / 2023–13(50)2018(Comp no 44644),
देहरादून, दिनांकः 02 मार्च, 2023

कार्यालय ज्ञाप

देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04 वर्ष 2002) की धारा 26 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्तिकुन्ज, हरिद्वार द्वारा "प्रथम परिनियमावली" के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव को उपान्तण के साथ "देव संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2023" के नाम से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

Signed by Madan Mohan Semwal
Date: 02-03-2023 15:32:00
(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुलसचिव, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांतिकुंज, हरिद्वार को देव संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2023 की प्रति सहित।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. गार्ड फाईल।

Generated from eOffice by MAYANK BISHT, SO-MB, SECTION OFFICER, Higher Education Department on 02/03/2023 04:47 PM

देव संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2023

राज्यपाल, देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम 2002 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04 वर्ष 2002) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अध्याय–एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

1. (1) इस परिनियमावली का संक्षिप्त नाम देव संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2023 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2. (1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस परिनियमावली में–

(क) 'शैक्षिक परिषद' से विश्वविद्यालय की शैक्षिक/विद्या परिषद अभिप्रेत है;

(ख) 'अधिनियम' से देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 अभिप्रेत है;

(ग) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से कुलपति, प्रति–कुलपति, कुलसचिव व वित्त अधिकारी के सम्बन्ध में कुलाधिपति तथा शेष पदों के सम्बन्ध में कुलपति अभिप्रेत है;

(घ) 'प्रशासनिक कर्मी' से विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारी, जो विश्वविद्यालय, इसके संघटक महाविद्यालयों, विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों में प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किये गये हैं, अभिप्रेत है।

(ङ) 'संकाय' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(च) 'धारा' से देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा अभिप्रेत है।

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(छ) "श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट" से शांतिकुंज, हरिद्वार स्थित पंजीकृत न्यास अभिप्रेत है;

(ज) 'अध्यापक' से आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य या ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिए नियुक्त किया गया है और इसके अन्तर्गत घटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी सम्मिलित है;

(झ) 'विश्वविद्यालय' से देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गायत्री कुंज–शान्ति कुंज, हरिद्वार अभिप्रेत है;

(ण) "प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति" से उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित समिति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किन्तु, देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में परिभाषित है, वही अर्थ होगें जो उस अधिनियम में है।

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय के अधिकारी

कुलाधिपति

3. कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियॉ होगी, अर्थात्:–

(1) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रमुख होगें तथा विश्वविद्यालय के समस्त कृत्यों के प्रभारी होगें।

(2) कुलाधिपति, किसी ऐसे मामले पर विचार करते समय जो उन्हें संदर्भित किया गया हो अथवा स्वप्रेरणा से, विश्वविद्यालय से ऐसे अभिलेख अथवा सूचना माँग सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे, और किसी अन्य मामले में कोई भी अभिलेख अथवा सूचना विश्वविद्यालय से माँग सकता है।

(3) जब कुलाधिपति विश्वविद्यालय से कोई अभिलेख अथवा सूचना माँगता है, तो कुलसचिव का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे अभिलेख अथवा सूचना कुलाधिपति को तत्परता से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव

(4) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जान–बूझकर अधिनियम के प्रावधानों की उपेक्षा करता है अथवा उनका पालन करने से इन्कार करता है अथवा स्वयं में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है और यदि कुलाधिपति को ऐसा प्रतीत होता है कि कुलपति का अपने पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के हितों के लिए हानिकारक है तो कुलाधिपति, कुलपति को निलंबित कर सकता है और ऐसी जाँच करने के उपरान्त जैसा वह उचित समझे एवं उसे सुनवायी का अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा कुलपति को उसके पद से हटा सकता है।

(5) कुलाधिपति यदि उपस्थित हो, तो उपाधियाँ वितरित करने हेतु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह तथा अन्य समस्त बैठकों, जिन्हें वह उचित समझे, की अध्यक्षता करेगा और उक्त के सन्दर्भ में ऐसी शक्तियाँ जो कि आवश्यक हों, को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(6) कुलाधिपति को यह अधिकार होगा कि वह व्यवस्थापक मण्डल को पर्यवेक्षक अथवा पर्यवेक्षकों को नामित करने हेतु निर्देश दे जो कि समय–समय पर कुलाधिपति के परामर्श एवं निर्देशों के अधीन ऐसी नीति एवं प्रारूप निर्धारित करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रबन्ध मण्डल, शैक्षिक (विद्या) परिषद्, वित्त समिति तथा वर्तमान परिनियमों में एतद्पश्चात दर्शित ऐसे अन्य प्राधिकरण, विश्वविद्यालय में समुचित प्रशासन एवं अध्ययन हेतु कार्य करेंगे एवं प्रस्ताव पारित करेंगे।

(7) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के अधिकारियों (समूह 'क' एवं 'ख') के नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी के साथ अन्य पदों के लिए अपीलीय अधिकारी होंगे।

(8) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों, बोर्ड/बोर्डों, समिति/समितियों अथवा संस्था/संस्थाओं से किसी भी प्रकृति की सूचना/सूचनाओं और अभिलेख/अभिलेखों को माँगने और ऐसे मामलों में जैसा वह ठीक समझे, पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश जारी करने के लिए सक्षम होगा।

(9) किसी कारण से कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलाधिपति द्वारा नामित व्यक्ति स्थानापन्न कुलाधिपति के रूप में कार्य करेगा:

परन्तु यह कि ऐसा स्थानापन्न कुलाधिपति, किसी भी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

कुलपति

4. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन व्यक्तियों की उस सूची में से की जाएगी, जिसकी संस्तुति अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार गठित की गयी समिति द्वारा की गयी हो:

परन्तु कारणों का उल्लेख करते हुए यदि सूची में से किसी नाम को कुलाधिपति अनुमोदित नहीं करता है, तो वह तीन व्यक्तियों की नई सूची (पूर्व संस्तुत सूची के अतिरिक्त), समिति से माँग सकता है और सूची में अंकित व्यक्तियों के नामों पर विचार कर कुलाधिपति जिस भी व्यक्ति को उचित समझे, कुलपति नियुक्त कर सकता है।

(2) कुलपति की नियुक्ति राज्य अधिनियम या विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए उपनियमों/अध्यादेशों/नियमों द्वारा निर्धारित पात्रता, सेवा शर्तों और प्रक्रियाओं, जो कि यूजीसी/विनियामक निकास के विनियम/निर्देशों के अनुरूप होगें, के अनुसार की जायेगी।

(3) कुलपति की कार्यावधि में किसी भी समय यदि कुलाधिपति यह अनुभव करता है और उसका यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जो कुलपति के पद को ग्रहण किए हुए है, अधिनियम, परिनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन दिये गये निर्देशों के अनुसार, उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है अथवा विश्वविद्यालय का प्रशासन ऐसे व्यक्ति द्वारा दक्षता से नहीं चलाया जा रहा है एवं/अथवा दक्षता से नहीं चलाया जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी कार्यावधि समाप्त होने से पूर्व भी पद रिक्त करने/जाँच/कारण बताओ नोटिस हेतु निर्देशदे सकता है।

(4) कुलपति के पास किसी भी संघटक महाविद्यालय/संस्था/संकाय से जैसा कि वह उचित समझे अध्यापन, परीक्षा, शोध, वित्त अथवा अन्य किसी का जो कि अध्यापन के अनुशासनिक अथवा दक्षता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य किसी प्रकृति से जुड़े हुए मामले से संबंधित, कोई भी ऐसे अभिलेखों अथवा सूचनाओं को माँगने की शक्ति होगी।

(5) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग, कार्यवधि की समाप्ति अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है अथवा अस्वस्थता के कारण या अन्य किसी कारण से वह अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन कर पाने में असमर्थ है, तो प्रतिकुलपति अथवा कुलाधिपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति कुलपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा और किसी अन्य मामले में प्रति–कुलपति/वरिष्ठतम प्राध्यापक कुलपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जब तक कि नया कुलपति पदभार ग्रहण नहीं करता अथवा जब तक कि वर्तमान कुलपति को उसके कार्यालय के कर्त्तव्यों को करने की अनुमति नहीं दी जाती, जैसा भी मामला हो, ऐसी व्यवस्था

2016
(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगी।

(6) कुलपति प्रबन्ध मण्डल, शैक्षिक परिषद्, नियुक्ति समिति, परीक्षा समिति, प्रवेश समिति, वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक मण्डल का पदेन सचिव होगा।

(7) कुलपति का वेतन एवं अन्य परिलब्धियाँ ऐसी होंगी जैसी विश्वविद्यालय के विनियमों/नियमों/राज्य अधिनियम/अध्यादेशों में निर्धारित की गयी हों।

(8) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के अध्यक्ष के रूप में कुलपति सदस्य अध्यक्ष होंगे किन्तु मतदान के पात्र नहीं होंगे:
परन्तु मत बराबर होने की दशा में या किसी भी मामले में कुलपति मतदान करने का विकल्प चुन सकते हैं।

(9) कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि अधिनियम, परिनियमों, नियमों तथा विनियमों का पालन उचित प्रकार से एवं निष्ठापूर्वक हो।

(10) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्रधिकारियों के निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

(11) कुलपति विश्वविद्यालय के अधिकारियों (समूह ग व घ) के नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक अधिकारी होगें। कुलपति के पास विश्वविद्यालय अथवा उसके संघटक महाविद्यालयों/संस्थाओं में अनुशासनिक कार्यों के समुचित प्रबन्धन हेतु समस्त आवश्यक शक्तियाँ होंगी और वह ऐसी किसी भी शक्ति को, ऐसे प्राधिकारी को जिसे वह उचित समझे प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(12) कुलाधिपति की पूर्वानुमति से कुलपति अधिनियम तथा परिनियमों के अधीन जैसे और जब आवश्यक हो, समस्त बोर्डों, संकायों, समितियों अथवा प्राधिकरणों का गठन करेगा अथवा करवा सकेगा।

प्रतिकुलपति

5. (1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के आधार पर की जा सकेगी।

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(2) प्रतिकुलपति के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति एक अच्छा शिक्षाविद्, अच्छी प्रतिष्ठा वाला, निःस्वार्थ भावना से कार्य करने के लिए समर्पित व्यक्ति हो।

(3) प्रति–कुलपति की नियुक्ति राज्य अधिनियम या विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए विनियमों/नियमों/अध्यादेश द्वारा निर्धारित अवधि के लिए की जाएगी:

परन्तु प्रतिकुलपति जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, पुनर्नियुक्ति हेतु अर्ह होगा।

(4) प्रति–कुलपति का वेतन एवं अन्य परिलब्धियाँ ऐसी होंगी जैसी विश्वविद्यालय के विनियमों/नियमों/अधिनियम/अध्यादेशों में निर्धारित की गयी हों।

(5) प्रतिकुलपति, ऐसे मामलों के संबंध में कुलपति की सहायता करेगा जो कि समय–समय पर इस संबंध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये हों एवं ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कि उसको कुलाधिपति अथवा कुलपति द्वारा सौंपे गए हों।

संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक)

6. (1) संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) की नियुक्ति कुलपति द्वारा संकायों/परिसरों में प्राध्यापकों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनः नियुक्ति के लिए अर्ह होगा।

(2) संकायाध्यक्ष(शैक्षणिक) का कार्यकाल जब तक कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा इससे पूर्व ही पर्यवसित न कर दिया गया हो, तीन वर्ष का होगा। यदि संकायाध्यक्ष के पद की कोई आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न होती हो तो वरिष्ठतम आचार्य और जहाँ संकाय में कोई आचार्य उपलब्ध न हो तो संकाय में वरिष्ठतम सह–आचार्य संकायाध्यक्ष(शैक्षणिक) के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा। विश्वविद्यालय के संकाय/स्कूल के संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष(शैक्षणिक) के अधीन कार्य करेंगे।

(3) कोई भी व्यक्ति, उस पद को छोडने के उपरांत, जिसके द्वारा उसने संकायाध्यक्ष(शैक्षणिक) का पद धारण किया था, संकायाध्यक्ष के रूप में नहीं बना रहेगा।

(4) अवधि, जिसके दौरान एक अध्यापक ने संकायाध्यक्ष(शैक्षणिक) के पद को धारण किया है, कि संगणना के उद्देश्य के लिए;

(क) ऐसी अवधि जिसके दौरान ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय के

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

किसी अधिकारी अथवा किसी न्यायालय के आदेश द्वारा संकायाध्यक्ष(शैक्षणिक) के पदभार ग्रहण करने अथवा बने रहने से रोका गया हो, अपवर्जित की जायेगी;

(ख) ऐसी अवधि, जिसके दौरान किसी अध्यापक को विश्वविद्यालय या किसी अधिकारी अथवा किसी न्यायालय के आदेश के अंतर्गत संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) के पद को धारण करने के लिए अनुज्ञात किया गया हो और अंतिमतः यह पाया गया हो कि वह उस अवधि के दौरान ऐसा पद धारण करने हेतु विधिक रूप से हकदार नहीं था, की गणना उसके संकायाध्यक्ष(शैक्षणिक) पद के कार्यकाल में की जाएगी और जब उसकी बारी भविष्य में आएगी;

(5) संकायाध्यक्ष(शैक्षणिक) के निम्न कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ होंगी–

(क) वह संकाय मण्डल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा और मण्डल द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

(ख) वह संकाय की वित्तीय एवं अन्य आवश्यकताएँ वित्त अधिकारी एवं कुलपति के संज्ञान में लाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) वह पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं संकाय के विभागों की अन्य संपत्तियों की उचित अभिरक्षा एवं रख–रखाव के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

(घ) उसे अपने संकाय से ताल्लुक रखने वाली शैक्षिक परिषद् की किसी भी बैठक में उपस्थित रहने एवं संबोधित करने का अधिकार होगा, लेकिन जब तक वह शैक्षिक परिषद् का सदस्य न हो, उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

कुलसचिव

7. (1) कुलसचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित चयन समिति की संस्तुति पर की जाएगी एवं वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। वह अपना पदभार, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करेगा।

(2) कुलसचिव की योग्यता और सेवा शर्तें/वेतन/मानदेय ऐसा होगा जैसा विश्वविद्यालय के अधिनियम/अध्यादेश/विनियमों /नियमों में निर्धारित किया गया हो एवं यूजीसी/विनियामक निकाय के विनियम/दिशा–निर्देशों के अनुरूप हो।

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(3) जब कुलसचिव का पद रिक्त हो अथवा जब कुलसचिव अस्वस्थता के कारण, अनुपस्थिति अथवा अन्य किसी कारण से अपने पदभार के दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो उस पदभार के दायित्वों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे इस निमित्त कुलपति नियुक्त करें।

(4) कुलसचिव प्रबन्ध मण्डल और शैक्षिक परिषद् का पदेन सचिव होगा, परन्तु इन प्राधिकरणों में उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(5) अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अधीन कुलसचिव समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों के लिए नियुक्ति और अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्राधिकारी होगा।

विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी जो उपरोक्त कथित संदर्भित आदेश से व्यथित हो, अनुशासन समिति को ऐसे आदेश की उस पर तामील की दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(6) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कुलसचिव के निम्न कर्त्तव्य होंगे–

(क) विश्वविद्यालय की समस्त संपत्ति एवं अभिलेखों का अभिरक्षण करना।

(ख) संबंधित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से विभिन्न प्राधिकारियों की बैठक आयोजित करने हेतु सूचना निर्गत करना और समस्त ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त रखना।

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियाँ जैसे ही वे जारी हों एवं ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त एवं कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय से माँगे गए कोई अभिलेख अथवा सूचनाओं को कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करना।

(घ) शैक्षिक परिषद् और प्रबन्ध मण्डल के शासकीय पत्र व्यवहार करना।

(ङ) कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारणों अथवा निकायों जिनके कि वह सचिव के रूप में कार्य करता हो, के आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना जो कि आवश्यक अथवा समीचीन हों।

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(च) विश्वविद्यालय के पक्ष अथवा विपक्ष में योजित दावों, विधिक कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामों/शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर करना एवं अभिवचनों का सत्यापन करना अथवा इन प्रयोजनों हेतु अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करना।

वित्त अधिकारी

8. (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा की जाएगी एवं उसका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा एवं वह पुनर्नियुक्ति हेतु अर्ह होगा। वित्त अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें यू.जी.सी./विनियामक निकाय के विनियम या दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगी।

(2) वित्त अधिकारी का वेतन/मानदेय ऐसा होगा जैसा विश्वविद्यालय के विनियमों/नियमों/राज्य अधिनियम/अध्यादेशों में निर्धारित किया गया हो।

(3) वित्त अधिकारी का पद जब रिक्त हो अथवा वित्त अधिकारी जब अस्वस्थता के कारण, अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण से अपने कार्यालय के कर्त्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हो, तो उसके कार्यालय के कर्त्तव्यों का निर्वहन कुलसचिव अथवा किसी ऐसे व्यक्ति, जैसा कि कुलाधिपति इस उद्देश्य हेतु कार्यवाहक नियुक्त करे, द्वारा किया जाएगा

(4) वित्त अधिकारी की निम्न शक्तियां होगी:

(क) विश्वविद्यालय की निधियों पर साधारण अधीक्षण रखेगा एवं कुलाधिपति और प्रबन्ध मण्डल को उसकी वित्तीय नीतियों के संबंध में परामर्श देगा, तथा

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कार्य करेगा जो कि उसे प्रबन्ध मण्डल द्वारा सौंपे गये हों अथवा परिनियमों एवं नियमों द्वारा विहित किए गए हों।

(5) प्रबन्ध मण्डल के नियंत्रण में रहते हुए वित्त अधिकारी–

(क) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट से लीज में प्राप्त अथवा अन्य प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति सहित विश्वविद्यालय की संपत्ति/आस्ति/गैर उपभोज्य और उचित स्टॉकिंग और स्टॉक

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

होने के साथ–साथ निवेश का मूल्यांकन/बुक वैल्यू एवं विनिधानों को धारण एवं उनका प्रबन्ध करना।

(ख) सुनिश्चित करेगा कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक वर्ष के लिए निश्चित की गई आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय की सीमा का उल्लंघन न हो एवं समस्त निधियों का व्यय उसी निमित्त हो, जिसके लिए वह विनिर्दिष्ट/स्वीकृत अथवा आवंटित की गई थी/हैं।

(ग) प्रबन्ध मण्डल को प्रस्तुत किए जाने हेतु विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों एवं बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(घ) नगदी एवं बैंक शेषों की स्थिति पर तथा विनिधानों की स्थिति पर सतत निगरानी रखेगा और प्रबन्ध मण्डल को किसी भी असाधारण परिवर्तन की भलीभाँति सूचना देगा।

(ड.) विश्वविद्यालय में रखे जाने वाली लेखा पुस्तकों, पंजिकाओं एवं उनसे संबंधित अभिलेखों के रख–रखाव एवं परिरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

(च) विश्वविद्यालय के लेखों के आंतरिक एवं वैधानिक लेखा परीक्षण करवाये जाने हेतु उत्तरदायी होगा।

(छ) राजस्व जमा की प्रगति की निगरानी करेगा एवं राजस्व एकत्रित करने के संभावित तरीकों को अपनाये जाने पर विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करेगा।

(ज) स्थिर आस्ति पंजिका का अद्यतन रख–रखाव एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित समस्त कार्यालयों, केंद्रों, प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं में ऐसी आस्तियों का वार्षिक/समयावधि, भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करेगा।

(झ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी भी कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, विभाग, इकाई, महाविद्यालय, संस्था अथवा अन्य निकाय से कोई सूचना/सूचनाएँ अथवा अभिलेख जिन्हें वह अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक माने, माँग सकेगा।

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(ञ) विश्वविद्यालय की निधियों पर साधारण अधीक्षण रखेगा।

(ट) विश्वविद्यालय को किसी वित्तीय मामले में स्वप्रेरणा से अथवा उसका परामर्श माँगे जाने पर परामर्श दे सकेगा।

(ठ) आय एकत्रित करेगा, भुगतान संवित्रित करेगा एवं विश्वविद्यालय के लेखों का रख–रखाव करेगा।

(ड) किन्हीं अनाधिकृत व्यय एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जाँच–पड़ताल करेगा एवं उन्हें कुलपति के संज्ञान में लाएगा तथा सक्षम प्राधिकरण को, दोषी अथवा जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में राय देगा।

(ढ) विश्वविद्यालय के लेखों का सतत आंतरिक लेखा परीक्षण करवाये जाने का प्रबन्ध करेगा एवं ऐसे देयपत्रक (बिल) जो कि इस संबंध में किन्हीं स्थायी आदेशों के अनुसार आवश्यक हों उनका पूर्व लेखा परीक्षण करेगा।

(ण) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कार्य करेगा जो कि उसको प्रबन्ध मण्डल अथवा कुलपति द्वारा सौंपे गये हों,

अध्याय– तीन
विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी

9. (1) अधिनियम की धारा 10 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होगें, अर्थातः–

(1) संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण;

(2) विभागाध्यक्ष;

(3) कुलानुशासक;

संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण

10. (1) संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण की नियुक्ति प्रबन्ध मण्डल द्वारा श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट की संस्तुति पर की जाएगी।

(2) वह अध्यापक, जिसकी नियुक्ति संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण के रूप में हुई हो, वह संकायाध्यक्ष के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन, अध्यापक के रूप में उसके अपने कर्त्तव्यों सहित करेगा।

(3) संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, जब तक

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

कि उसे प्रबन्ध मण्डल द्वारा इससे पूर्व ही पर्यवसित न कर दिया गया हो एवं प्रबन्ध मण्डल को श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट की संस्तुति पर, किसी भी संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण को, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण के रूप में पूर्व कार्य संपादन एवं विश्वविद्यालय के छात्रों पर उसकी छाप व प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, उसके पद पर पुनर्नियुक्ति का अधिकार होगा।

(4) संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण की सहायता कुलपति के अनुमोदन पर उसके द्वारा चुने गए तीन अध्यापकों के संवर्ग द्वारा की जाएगी जो कि अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन अपने अध्यापकों के सामान्य कत्तर्व्यों के साथ–साथ करेंगे। इस प्रकार चुने गए अध्यापक सहायक संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण कहलाये जायेंगे।

(5) सहायक संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण में से एक की नियुक्ति विश्वविद्यालय की महिला अध्यापकों में से श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट की संस्तुति पर की जायेगी, जो महिला छात्रों के कल्याण की देख–रेख करेगी।

(6) संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण एवं सहायक संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण का यह कर्त्तव्य होगा कि वह छात्रों की ऐसे सामान्य मामलों में जिनमें उन्हें मदद व मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, सहायता करे एवं विशेष तौर पर छात्रों एवं भावी छात्रों की निम्न मामलों में सहायता करे व परामर्श दें–

(क) विश्वविद्यालय और उसके पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने के लिए,
(ख) उपयुक्त पाठ्यक्रम का चयन में,
(ग) आवासीय सुविधा खोजने में,
(घ) भोजनालय की व्यवस्था उपलब्ध कराने में,
(ङ) चिकित्सकीय राय और सहायता प्राप्त करने में;
(च) छात्रवृत्ति, वृत्तिका, अंशकालिक रोजगार और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध करने में,
(छ) अग्रेत्तर अध्ययन हेतु भारत अथवा विदेश में सुविधा उपलब्ध कराने में,

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(ज) नियमों में उल्लिखित प्रकार से विश्वविद्यालय की परम्पराओं को बनाये रखने हेतु शैक्षिक अध्ययनों के समुचित अनुसरण में उनको संचालित करने में,

(7) उपपरिनियम 6 में अंतर्विष्ट किसी भी बात का दावा विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र द्वारा अधिकार स्वरूप नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रबन्ध मण्डल, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण एवं सहायक संकायाध्यक्षों छात्र कल्याण के किन्हीं ऐसे कर्त्तव्यों को जोड़ने, संशोधित करने, परिवर्तित करने या निरसित करने हेतु सशक्त होगा।

(8) संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, जब भी आवश्यक हो छात्रों के अभिभावकों से ऐसे मामलों के संबंध में जिनमें उनकी सहायता की आवश्यकता हो, संपर्क स्थापित कर सकेगा।

(9) संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक एवं चिकित्साधिकारी पर सामान्य नियंत्रण रखेगा। वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का भी निर्वहन करेगा जो कि उसे प्रबन्ध मण्डल अथवा कुलपति द्वारा सौंपे गये हों। ।

(10) कुलपति, किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक आधार पर कोई कार्यवाही करने से पूर्व अधिष्ठाता छात्र कल्याण से परामर्श ले सकेगा।

(11) संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण को विश्वविद्यालय के कोष में से मानदेय की ऐसी धनराशि संदाय की जायेगी जो कि कुलाधिपति निश्चित करे।

विभागाध्यक्ष

11 विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में वरिष्ठतम अध्यापक विभागाध्यक्ष होगा। यद्यपि, प्रबन्ध मण्डल के पास विभागाध्यक्ष को हटाने अथवा बदलने का विकल्प होगा।

कुलानुशासक

12 (1) कुलानुशासक का चयन विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से प्रबन्ध मण्डल द्वारा श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट की संस्तुति पर किया जायेगा। कुलानुशासक, विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में कुलपति की उसके अनुशासनिक प्राधिकार के प्रयोग में सहायता करेगा एवं अनुशासन के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो कि उसे कुलपति द्वारा इस संबंध में सौंपे जायें। कुलानुशासक की सहायता सहायक कुलानुशासकों द्वारा

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

की जायेगी, जिनकी संख्या प्रबन्ध मण्डल द्वारा समय–समय पर निश्चित की जायेगी। कुलपति द्वारा कुलानुशासक के परामर्श से सहायक कुलानुशासक का चयन किया जायेगा।

(2) कुलानुशासक तथा सहायक कुलानुशासक अपना कार्यभार एक वर्ष के लिए धारण करेंगे और वह पुनर्चयन के लिए अर्ह होंगे:

परन्तु उत्तराधिकारी के चुने जाने तक कुलानुशासक तथा सहायक कुलानुशासक अपने पद पर बने रहेंगे।

तथापि प्रबन्ध मण्डल, कुलपति की संस्तुति पर कथित अवधि से पूर्व कुलानुशासक और सहायक कुलानुशासक को हटा सकेगा।

अध्याय–चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

व्यवस्थापक मण्डल

13. (1) व्यवस्थापक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता कुलाधिपति करेगा। उसकी अनुपस्थिति में कुलाधिपति द्वारा नामित कोई सदस्य ऐसी विशेष बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) उत्तराखण्ड के शिक्षाविद् एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित उत्तराखण्ड विधानसभा के तीन विधायकगण, अधिमान्यता से व्यवस्थापक मण्डल में सदस्य होगें।

(3) व्यवस्थापक मण्डल की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति व्यवस्थापक मण्डल के कम से कम सात सदस्य की होगी।

(4) पदेन सदस्यों के सिवाय, व्यवस्थापक मण्डल के सभी सदस्य, अपने नियुक्ति की तिथि से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सदस्य होगें एवं पुनर्नियुक्ति के पात्र होगें;

परन्तु यह कि विधानसभा के तीन माननीय सदस्य जो कि व्यवस्थापक मण्डल के सदस्य हो, विधानसभा की सदस्यता से हटते ही व्यवस्थापक मण्डल के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

(5) व्यवस्थापक मण्डल वर्ष में तीन बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझें।

(6) व्यवस्थापक मण्डल के लिए यह आवश्यक होगा कि वह कुलाधिपति

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

के परामर्श एवं निर्देशों पर प्रेक्षक अथवा प्रेक्षकों को नामित करे और ऐसे एक अथवा अधिक प्रेक्षक समय–समय पर वह नीति एवं प्रारूप निर्धारित करेंगे जिसके अंतर्गत प्रबन्ध मण्डल, शैक्षिक परिषद्, वित्त समिति, परीक्षा समिति, प्रवेश समिति, अनुशासनिक समिति एवं ऐसे अन्य प्राधिकरण/समितियाँ जिन्हें वर्तमान परिनियमों में इसके पश्चात उपदर्शित किया गया है, विश्वविद्यालय के समुचित प्रशासन हेतु कार्य करेंगे एवं प्रस्ताव पारित करेंगे।

प्रबन्ध मण्डल

14. (1) प्रबन्ध मण्डल की बैठक का आयोजन एवं अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जायेगी।

(2) कुलसचिव प्रबन्ध मण्डल का सचिव होगा, परन्तु प्रबन्ध मण्डल की बैठकों में उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(3) प्रबन्ध मण्डल विश्वविद्यालय का कार्यकारी निकाय होगा।

(4) प्रबन्ध मण्डल के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त समस्त सदस्य अपना पद, उनके नामांकन अथवा ऐसी नियुक्ति की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए धारण करेंगे।

(5) प्रबन्ध मण्डल के पास विश्वविद्यालय के राजस्व एवं संपत्तियों के प्रबन्धन व प्रशासन एवं विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक व शैक्षिक काम–काज, जो अन्यथा उपबंधित न हों, के संचालन की शक्ति होगी।

(6) उक्त परिनियमों एवं नियमों और विनियमों के अधीन प्रबन्ध मण्डल के पास उसमें निहित समस्त शक्तियों के अतिरिक्त निम्न शक्तियाँ होंगी अर्थात् :–

(क) शिक्षक व शैक्षिक पदों का सृजन अथवा समाप्त करना, ऐसे पदों की संख्या एवं परिलब्धियां अवधारित करना, एवं अध्यापकों तथा अन्य शैक्षिक कर्मचारीवृन्द व विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय एवं संस्थाओं के प्रधानों के कर्त्तव्यों एवं सेवा की शर्तों को परिभाषित करना;

परन्तु यह कि प्रबन्ध मण्डल विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों व शैक्षिक कर्मचारीवृंद की संख्या व अर्हताओं के संबंध में शैक्षिक परिषद् की संस्तुतियों पर विचार कर सकेगा;

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव.
उत्तराखण्ड शासन

(ख) यदि आवश्यक हो तो ऐसे शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारीवृंद जो कि आवश्यक हों एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों एवं संस्थाओं के प्रचार्यों को प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस हेतु समय–समय पर गठित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर नियुक्त करना;

(ग) प्रशासनिक, अनुसचिवीय एवं अन्य आवश्यक पदों को सृजित करना और नियुक्ति करना;

(घ) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, विनिधान, संपत्ति, व्यापार एवं समस्त अन्य प्रशासनिक काम–काज का प्रबन्ध एवं विनिमयन करना और इस हेतु जैसा वह उचित समझें अभिकर्त्ता/अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति करना;

(ड़) वित्त समिति की संस्तुति पर एक वर्ष के लिए संपूर्ण आवर्तक एवं संपूर्ण अनावर्तक व्ययों की सीमा निर्धारित करना;

(च) अधिशेष कोष सहित विश्वविद्यालय के स्वामित्व की धनराशि का भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी ऐसे स्टॉकों, निधियों, अंशों अथवा प्रतिभूतियों में अथवा जैसा कि वह उचित समझें निवेश करना अथवा ऐसे निवेशों को समय–समय पर परिवर्तित करने की समान शक्तियों सहित अचल संपत्ति के क्रय में लगाना;

(छ) विश्वविद्यालय के लिए अथवा उसकी ओर से व्यवस्थापक मण्डल की पूर्व सहमति से किसी चल संपत्ति को बेचना, खरीदना अथवा अंतरित करना;

(ज) विश्वविद्यालय के कार्य चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचरों एवं उपकरणों तथा अन्य साज–समानों को उपलब्ध कराना;

(झ) विश्वविद्यालय की ओर से श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट के पूर्वानुमोदन पर संविदाओं को स्वीकार करना, उनमें परिवर्तन करना, उनका निष्पादन करना एवं उन्हें रद्द करना;

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(ञ) विश्वविद्यालय के कर्मचारी/कर्मचारियों एवं छात्रों की शिकायत सुनना, न्याय, निर्णय करना और यदि उचित समझा जाये, तो उसे दूर करना;

(ट) विश्वविद्यालय के लिए मोहर, अधिकार चिह्न एवं आदर्श वाक्य का चयन करना एवं उनकी अभिरक्षा एवं प्रयोग के लिए उपबंध करना;

(ठ) महिला छात्रों के लिए ऐसे उचित प्रबन्ध करना जो कि उनके रहने के लिए आवश्यक हो;

(ड) छात्रों और कर्मचारियों के मध्य अनुशासन बनाए रखना;

(ढ) अपनी किसी शक्ति को कुलपति, प्रतिकुलपति, संकायाध्यक्ष, कुलसचिव, वित्त अधिकारी और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य कर्मचारी अथवा प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त समिति जैसे कि वह उचित समझे, को प्रत्यायोजित करना;

(ण) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों एवं आय–व्यय विवरण के आंतरिक तथा विधिक अंकेक्षण के लिए लेखा परीक्षकों की सूची तैयार रखना;

(त) ऐसे अंतराल जो उचित समझा जाय, में विश्वविद्यालय के लेखों का आंतरिक अंकेक्षण करवाना;

(थ) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिकाएँ, पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना;

(द) अतिथि प्राध्यापकों, प्रतिष्ठित प्राध्यापकों, सलाहकारों और विद्वान व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु उपबंध करना एवं ऐसी नियुक्तियों के निबंधन और शर्तों को निश्चित करना;

(ध) प्रशिक्षु शिक्षकों/प्रशिक्षु कर्मचारियों की प्रशिक्षण अवधि, वृत्तिका एवं अन्य सुसंगत शर्तों से संबंधित नियमों एवं शर्तों को तैयार करना;

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(न) कुलाधिपति की सहमति से कोई विभाग अथवा संकाय सृजित करना, समाप्त करना अथवा उसे पुनर्गठित करना;

(प) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना एवं ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करना जो कि अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा उसे प्रदान की जाये या उस पर अधिरोपित की जाये।

(फ) परीक्षक और मध्यस्थ को नियुक्त करना तथा हटाना और उनके शुल्क, प्राप्तियाँ, यात्राभत्ता तथा अन्य भत्ते शैक्षिक परिषद् की राय से निर्धारित करना।

(7) कोई मामला जो प्रबन्ध मण्डल के समक्ष लाया गया हो अथवा लंबित हो, जो कि विश्वविद्यालय के हित के लिए अत्यधिक महत्त्व का हो अथवा जो विश्वविद्यालय की भविष्य की नीति या रूपरेखा की विरचना करता हुआ प्रतीत हो एवं/अथवा जो कि विश्वविद्यालय की कार्यशैली को प्रभावित करता हुआ प्रतीत होता हो, प्रबन्ध मण्डल द्वारा व्यवस्थापक मण्डल को अपनी टिप्पणियों एवं परामर्श के साथ निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(8) प्रबन्ध मण्डल विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के अधीनस्थ के रूप में उसके सामान्य कार्य के संपादन के दौरान उसके कार्य में उसकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में उप अथवा सहायक के रूप में मदद करने के लिए कोई पद सृजित एवं नियुक्त करने के लिए सक्षम होगा।

(9) प्रबन्ध मण्डल अपने कुल सदस्यों के बहुमत, अर्थात् कम से कम सात सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव से अपनी किन्हीं ऐसी शक्तियों को, जैसा वह उचित समझें विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के आधीन प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(10) विश्वविद्यालय के संचालन को राज्य अधिनियम/उपनियमों/अध्यादेशों/ के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों/परिनियमों के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

शैक्षिक (विद्या) परिषद

15. (1) विद्या परिषद् के निम्न सदस्य निम्नलिखित होगें: –

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

(क) विश्वविद्यालय के कुलपति–पदेन अध्यक्ष;

(ख) विश्वविद्यालय के कुलसचिव–पदेन सचिव;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामित दो संकायाध्यक्ष;

(घ) कुलपति द्वारा नामित दो विभागाध्यक्ष,

(ड़) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट द्वारा नामित पाँच विद्वान व्यक्ति;

(च) वरिष्ठता के आधार पर विश्वविद्यालय में दो प्राध्यापक। यह प्राध्यापक कुलाधिपति द्वारा दो वर्ष के लिए नामित किये जायेंगे।

(छ) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित–शैक्षिक श्रेष्ठता प्राप्त दो व्यक्ति;

(2) पदेन सदस्यों को छोड़कर शैक्षिक परिषद के समस्त सदस्य, उनके नामित/नियुक्ति होने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(3) विश्वविद्यालय के संचालन को राज्य अधिनियम/उपनियमों/अध्यादेशों/ के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों/पनिनियमों के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

(4) अधिनियम एवं इन परिनियमों के उपबंधों के अधीन शैक्षिक परिषद् के पास निम्न शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:–

(क) अध्ययन मंडल द्वारा संकायों के माध्यम से पाठ्यक्रमों से सुसंगत, प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों को जाँचना और उन पर अपनी संस्तुति देना एवं प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार किये जाने हेतु सिद्धांतों एवं मापदंडों की सिफारिश करना, जिनके आधार पर परीक्षकों एवं निरीक्षकों को नियुक्त किया जाये;

(ख) व्यवस्थापक मंडल अथवा प्रबन्ध मण्डल द्वारा संदर्भित अथवा सौंपे गये किसी मामले पर अपनी आख्या देना;

(ग) अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के डिप्लोमा और डिग्रियों के अभिज्ञान के संबंध में एवं विश्वविद्यालय के डिप्लोमा एवं डिग्रियों से उनकी समकक्षता के संबंध में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न शिक्षा परिषदों द्वारा संचालित

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

इंटरमीडिएट परीक्षा के संबंध में प्रबन्ध मण्डल को परामर्श देना;

(घ) शैक्षिक मामलों के संबंध में ऐसे समस्त कर्त्तव्यों का निर्वहन करना एवं ऐसे समस्त कार्य करना जो कि अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के उचित संचालन हेतु आवश्यक हो;

(ड.) विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों का सामान्य पर्यवेक्षण एवं निर्देश पद्धति, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में शिक्षण, मूल्यांकन में सुधार, शोध एवं शैक्षिक स्तरों के संबंध में निदेश देना,

(च) अंर्तसंस्थागत आधार पर योजनाओं के प्रारंभ हेतु समितियों अथवा परिषदों को स्थापित करना;

(छ) सामान्य शैक्षिक हितों के मामलों पर स्वयं अथवा किसी महाविद्यालय/संकाय/परिसर अथवा प्रबन्ध मण्डल या किसी अन्य निकाय द्वारा समुचित कार्यवाही करने हेतु संदर्भ किये जाने पर विचार करना;

(ज) निम्न के संबंध में प्रबन्ध मण्डल को संस्तुति करना–

(i) विश्वविद्यालय में एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित विभिन्न केंद्रों में शिक्षण पद सृजित करना एवं उन्हें समाप्त करना;

(ii) उपरोक्त उप मद (i) में उल्लिखित पदों का एवं उनके साथ संलग्न कर्त्तव्यों का वर्गीकरण करना;

(झ) संकायों के संगठन हेतु योजनाएँ बनाना एवं उपांतरित अथवा पुनरिक्षित करना तथा ऐसे संकायों को उनके अपने विषय सौंपना और प्रबन्ध मण्डल को किसी संकाय के समापन अथवा विभाजन अथवा एक संकाय के दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के बारे में प्रबन्ध मण्डल को अपनी आख्या भी देना;

(ञ) विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा देना;

(ट) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना,

16

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं की डिप्लोमा व डिग्रियों को मान्यता प्रदान करना एवं विश्वविद्यालय के डिप्लोमा एवं डिग्रियों के संबंध में उनके तत्समान मूल्य अवधारित करना;

(ड) विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना अथवा ऐसा करने के लिए समिति अथवा अधिकारियों को नियुक्त करना, तथा डिग्री, सम्मान, डिप्लोमा, उपाधि आदि के प्रदान अथवा अनुदान से संबंधित संस्तुति करना;

(प) निर्धारित अथवा संस्तुत पाठ्यपुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रमों का विवरण प्रकाशित कराना;

(फ) प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रतिनिधानित अथवा सौंपे गये किसी मामले पर आख्या देना;

(5) शैक्षिक परिषद की बैठक कुलपति के निर्देश पर आहूत की जायेगी;

(6) बुलायी गयी बैठकों की कार्यसूची की प्रतियाँ एवं उसमें आयोजित कार्यवृत्त के उद्धरणों की प्रतियाँ शीघ्रातिशीघ्र कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

वित्त समिति

16. (1) वित्त समिति निम्नवत् गठित होगी–

(क) विश्वविद्यालय के कुलपति–पदेन अध्यक्ष;;

(ख) वित्त अधिकारी–पदेन सचिव;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा सचिव या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे न हो;

(घ) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य ;

(ङ) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट द्वारा नामित तीन सदस्य, जिसमें से एक व्यक्ति का चारर्टड एकाउण्टेन्ट होना आवश्यक है;

(2) कोई व्यय जो कि बजट/वित्तीय आकलन में विचार हेतु नहीं लिया जा सका था, उसे वित्त अधिकारी द्वारा निम्नवत प्रकार से वित्त समिति को संदर्भित किया जायेगा–

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

(क) अनावर्तक व्यय के मामले जिसमें दस हजार रुपये या उससे अधिक का व्यय सन्निहित हों

(ख) आवर्तक व्यय के मामले जिसमें तीन हजार रुपये या उससे अधिक का व्यय सन्निहित हो:

परन्तु एक हस्तांतरण में पचास हजार रुपये से अधिक व्यय की स्थिति में मामले को वित्त समिति द्वारा कुलाधिपति को संदर्भित किया जायेगा:

परन्तु अग्रेत्तर यह कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, एक मद को जिसे अनेक भागों में बांटा गया हो, एक बजट शीर्षक के अंतर्गत न्यून धनराशियों की अनेक मदों के रूप में मानने एवं उसे वित्त समिति से रोकने की अनुमति नहीं होगी,

(3) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे एवं वित्तीय आकलन वित्त समिति के समक्ष विचार करने हेतु रखे जायेंगे और तदोपरांत वित्त समिति उसे व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन हेतु प्रबन्ध मण्डल को प्रस्तुत करेगी।

(4) यदि प्रबन्ध मण्डल वार्षिक वित्तीय आकलन यानि बजट पर विचार करने के उपरांत किसी समय उसमें आवर्तक अथवा अनावर्तक धनराशियों के व्यय से संबंधित कोई पुनरीक्षण प्रस्तावित करें तो प्रबन्ध मण्डल ऐसे प्रस्ताव को वित्त अधिकारी से परामर्श करने के उपरांत एवं उसमें यथोचित उपांतर सम्मिलित करके वित्त समिति को संदर्भित कर देगा और वित्त समिति ऐसे प्रस्ताव के अनुसरण हेतु बाध्य होगी।

(5) वित्त समिति व्यय के समस्त मदों पर विचार करेगी और यथा शीघ्र उन पर अपनी संस्तुतियाँ तैयार कर प्रबन्ध मण्डल को संसूचित करेगी।

(6) पदों के सृजन से संबंधित समस्त प्रस्ताव एवं वह मद जिन्हें बजट में सम्मिलित नहीं किया गया है, वित्त समिति द्वारा परीक्षित की जायेगी एवं लिखित रूप से उसकी टिप्पणी सहित प्रबन्ध मण्डल के समक्ष उसके विचारणार्थ रखी जायेंगी।

(7) विश्वविद्यालय के संचालन को राज्य अधिनियम/उपनियमों/ अध्यादेशों/ के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों/पनिनियमों के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

लेखों की आंतरिक अंकेक्षण आख्या वित्त अधिकारी द्वारा

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

वित्त समिति को चर्चा एवं वाँछित आवश्यक कार्यवाही (यदि हो) के लिए संदर्भित की जायेगी।

लेखों की विधिक अंकेक्षण आख्या वित्त अधिकारी द्वारा वित्त समिति के समक्ष रखी जायेगी।

अध्याय–पांच
विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

17. अधिनियम की धारा 23 में परिभाषित प्राधिकारियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी निम्नवत् होगें, अर्थात्:–

(क) अनुशासन समिति;
(ख) विभागीय समिति;
(ग) परीक्षा समिति;
(घ) प्रवेश समिति;
(ड) अध्ययन मण्डल;

अनुशासन समिति

18. (1) प्रबन्ध मण्डल विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझें एक अनुशासन समिति का गठन करेगा, जिसमें उसके द्वारा नामित तीन व्यक्ति होंगे:

परन्तु यदि प्रबन्ध मण्डल समीचीन समझें तो वह विभिन्न मामलों या मामले के वर्गों पर विचार करने के लिए ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकता है।

(2) जिस अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला विचाराधीन हो, वह मामले के संबंध में कार्यवाही करने वाली अनुशासन समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(3) प्रबन्ध मण्डल किसी भी स्तर पर या तो स्वप्रेरणा अथवा उसको प्रार्थना पत्र दिये जाने पर किसी मामले को एक अनुशासनिक समिति के अन्य अनुशासन समिति को अंतरित कर सकेगा।

(4) अनुशासन समिति के निम्न कार्य होंगे–

(क) ऐसे मामलों में जाँच करना जिनमें विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी, अध्यापक, अधिकारी अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष के

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अंतर्ग्रस्त हो;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलंबित करने की सिफारिश करना, जिसके विरुद्ध कोई जाँच विचाराधीन हो या करने का विचार हो,

(ग) छात्रों के मध्य विवाद के मामलों में अनुशासन समिति मामले की जाँच करेगी और अपनी आख्या कुलपति को प्रेषित करेगी जो आवश्यक कार्यवाही करेगा;

(घ) ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करना एवं ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो समय–समय पर उसको प्रबन्ध मण्डल द्वारा सौंपे गये हों।

(5) समिति के सदस्यों के मध्य मतभेद होने की दशा में, बहुमत का निश्चिय अभिभावी होगा।

(6) अनुशासन समिति का विनिश्चय यथाशीघ्र प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रख जायेगा।

(7) बुलायी गयी बैठकों की कार्यसूची की प्रतियाँ एवं उसमें आयोजित कार्यवृत्त के उद्धरणों की प्रतियाँ शीघ्रातिशीघ्र कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेंगी।

विभागीय समिति

19. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षण के विभाग में विभागाध्यक्ष की सहायता के लिए एक विभागीय समिति होगी।

(2) विभागीय समिति निम्नलिखित गठित होगी–

(क) विभागाध्यक्ष, –अध्यक्ष होगा;

(ख) विभाग के समस्त आचार्य और यदि आचार्य न हो तो समस्त सह आचार्य;

(ग) यदि किसी विभाग में आचार्य हो, सह आचार्य भी हो तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से दो वर्ष की अवधि के लिए दो सह आचार्य;

(घ) यदि किसी विभाग में सह आचार्य एवं सहायक आचार्य भी हों तो एक सहायक आचार्य और यदि ऐसे विभाग में कोई सह

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

आचार्य न हो तो दो सहायक आचार्य ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से दो वर्ष की अवधि के लिए;

परन्तु किसी ऐसे प्रकरण, जिसमें कोई विषय विशेष या विशिष्टता हो, तो उस विषय विशेष या विशिष्टता के वरिष्ठतम अध्यापक, जो कि समिति के पूर्व से सम्मिलित नहीं हो, को उस विषय विशेष के लिए विशेषतः आमंत्रित किया जायेगा।

(3) विभागीय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे

(क) विभाग के अध्यापकों के मध्य अध्यापन कार्य के वितरण की संस्तुति करना;

(ख) विभाग में शोधकार्य एवं अन्य कार्यों के समन्वय के संबंध में सुझाव देना;

(ग) विभाग में कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति हेतु संस्तुति करना,

(घ) विभाग के सामान्य और शैक्षिक रुचि के मामलों पर विचार करना।

(4) विभागीय समिति तिमाही में कम से कम एक बैठक करेगी। बैठक का कार्यवृत्त प्रति–कुलपति व कुलपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) बुलायी गयी बैठकों की कार्यसूची की प्रतियाँ एवं उसमें आयोजित कार्यवृत्त के उद्धरणों की प्रतियाँ शीघ्रातिशीघ्र कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

परीक्षा समिति

20. (1) परीक्षा समिति की संरचना निम्नवत् होगी–

(क) विश्वविद्यालय का कुलपति–अध्यक्ष,

(ख) दो वर्ष की अवधि के लिए वरिष्ठता के आधार पर दो संकायाध्यक्ष/प्राचार्य,

(ग) वरिष्ठता के आधार पर दो प्राध्यापक जो संकायाध्यक्ष/प्राचार्य पद का ग्रहण नहीं किये हुए हो,

(घ) एक सह आचार्य दो वर्ष की अवधि के लिए,

(ङ) कुलसचिव– पदेन सचिव

(2) परीक्षा समिति विश्वविद्यालय के समस्त परीक्षा कार्य के लिए उत्तरदायी होगी एवं वह प्रबन्ध मण्डल के सीधे नियंत्रण में कार्य

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

करेगी।

(3) परीक्षा समिति उप समिति की संस्तुति पर किसी परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में बैठने से वंचित कर सकेगी। यदि ऐसा परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में दुर्व्यवहार अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी पाया गया हो।

(4) बुलायी गयी बैठकों की कार्यसूची की प्रतियाँ एवं उसमें आयोजित कार्यवृत्त के उद्धरणों की प्रतियाँ कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

प्रवेश समिति

21. (1) प्रवेश समिति की संरचना निम्नवत् होगी–

(क) विश्वविद्यालय का कुलपति–अध्यक्ष,
(ख) दो वर्ष की अवधि के लिए वरिष्ठता के आधार पर दो संकायाध्यक्ष/प्राचार्य,
(ग) वित्त अधिकारी द्वारा नामित एक सदस्य,
(घ) कुलसचिव– पदेन सचिव,
(ड़) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य,
(च) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट द्वारा नामित दो सदस्य।

(2) प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के समस्त प्रवेश कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी और वह प्रबन्ध मण्डल के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगी।

(3) बुलायी गयी बैठकों की कार्यसूची की प्रतियाँ एवं उसमें आयोजित कार्यवृत्त के उद्धरणों की प्रतियां कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्ययन मण्डल

22. (1) प्रत्येक विषय जो कि उपाधि, डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र के लिए विहित हो, के लिए एक अध्ययन मंडल होगा। शैक्षिक परिषद्, प्रबन्ध मण्डल की सहमति से एक ही अध्ययन मंडल को दो अथवा अधिक सहबद्ध विषय चाहे वह एक ही संकाय अथवा विभिन्न संकायों को सौंपे गये हों, के लिए सक्षम होगा।

(2) अध्ययन मंडल निम्न प्रकार से गठित होगा–

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति;
(ख) संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक)– (समन्वयक)
(ग) कुलपति द्वारा नामित दो व्यक्ति, विषय के विशेषज्ञ;

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(घ) संबंधित विभाग के वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम के दो अध्यापक;

(3) अध्ययन मंडल के सदस्य तीन वर्ष के अवधि के लिए कार्यकाल धारण करेंगे। अध्ययन मंडल के कार्यकाल के दौरान कोई रिक्ति उत्पन्न होने की स्थिति में अध्ययन मंडल के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए नये सदस्य को नियुक्त किया जायेगा।

(4) अध्ययन मंडल के निम्न कार्य होंगे–

(क) अध्ययन के नये पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव आरंभ करना एवं वर्तमान पाठ्यक्रम में यथोचित परिवर्तन करना;

(ख) विभिन्न उपाधियों, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रों के लिए आंतरिक एवं बाह्य परीक्षकों के रूप में नियुक्ति किये जाने वाले अर्ह व्यक्तियों की सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु यथोचित व्यक्तियों की संस्तुति करना।

(5) अध्ययन मंडल के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य उसकी बैठक की गणपूर्ति करेंगे।

(6) प्रत्येक अध्ययन मंडल वर्ष में कम से कम एक बार विभिन्न परीक्षाओं के अध्ययन के पाठ्यक्रम, जिससे वह संबंधित है, तैयार करने के लिए बैठक करेगा। पाठ्यक्रम उस परीक्षा से जिसके लिए वह विहित किये जाने हेतु आशयित हैं कम से कम छः माह पूर्व तैयार किये जायेंगे।

(7) टिप्पणी एवं/अथवा प्रस्ताव यदि कोई हों, जो कि शैक्षिक परिषद्, प्रबन्ध मण्डल अथवा व्यवस्थापक मंडल से प्राप्त किये गये हों, संयोजक को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किये जायेंगे।

(8) अध्ययन मंडल द्वारा लिये गये समस्त निर्णय एवं पारित किये गये समस्त प्रस्ताव, शैक्षिक परिषद के समक्ष, उसके अंतिम अनुमोदन हेतु रखे जायेंगे। यदि शैक्षिक परिषद् की बैठक, सेमेस्टर, जिसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया था, प्रारंभ होने से पूर्व नहीं होती है, तो प्रति कुलपति/कुलपति शैक्षिक परिषद के अनुमोदन के पूर्वानुमान से अध्ययन मंडल के निर्णय के कार्यान्वयन का आदेश देने हेतु सक्षम होगा और जैसे ही शैक्षिक परिषद की प्रथम बैठक आयोजित होती है, अध्ययन मंडल के ऐसे समस्त निर्णय एवं प्रस्ताव शैक्षिक परिषद के समक्ष, उसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

अध्याय–छः

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों व कर्मचारियों की भर्ती की रीति एवं सेवा शर्ते

नियुक्ति की रीति एवं सेवा शर्ते

23. अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पात्रता का मापदण्ड ऐसा होगा जैसा सेवा नियमावली द्वारा निर्धारित किया जाय।

अध्यापकों का वर्गीकरण

24 (1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्न संवर्ग होंगे–

(क) आचार्य
(ख) सह–आचार्य
(ग) सहायक आचार्य

(2) विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक पदों की योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अन्य सांवधिक निकायों के विनियमों के अनुसार होगी। सभी प्रकार के शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की प्रकिया एवं वेतन तथा परिलब्धियां ऐसे होंगे जैसे कि विश्वविद्यालय के विनियमों/नियमों में निर्धारित किया गया हो।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अवकाश नियमावली

25 (1) अवकाश निम्न प्रकार के होंगे–

(क) आकस्मिक अवकाश,
(ख) विशेषाधिकार अवकाश,
(ग) चिकित्सा अवकाश,
(घ) असाधारण अवकाश,
(ङ) प्रसूति अवकाश

(2) आकस्मिक अवकाश पूर्ण वेतन पर दिया जायेगा जो कि एक मास में पाँच दिन अथवा बारह मास के एक शैक्षिक सत्र में दस दिन (दो स्थानीय अवकाश सहित) से ज्यादा नहीं होगा और वह संचित नहीं होगा। सामान्यतः इन्हें अन्य अवकाशों के साथ जोड़ा नहीं जायेगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति इस शर्त का अधित्यजन, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, कर सकेगा।

(3) एक शैक्षिक सत्र में दस कार्य–दिवस तक का विशेषाधिकार अवकाश पूर्ण वेतन पर होगा और यह अधिकतम तीस कार्य–दिवसों तक

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

संचित किया जा सकता है।

(4) वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर चिकित्सा अवकाश एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम पंद्रह कार्य–दिवसों के लिए अर्ध वेतन पर दिया जायेगा।

(5) असाधारण अवकाश बिना वेतन के होगा। यह प्रारंभ में ऐसे कारणों से जिन्हें प्रबन्ध मण्डल उचित समझे, तीन माह से अनाधिक अवधि के लिए दी जा सकती है, किंतु विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में छः माह (पहले के तीन माह सहित) से अनाधिक अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(6) अध्यापिकाओं को ऐसी अवधि के लिए प्रसूति अवकाश, जो प्रसूति के प्रारंभ होने के दिनांक से छः माह तक अथवा प्रसवावस्था के दिनांक से बारह सप्ताह तक, जो भी पहले हो, पूर्ण वेतन पर दिया जा सकता है:

परन्तु यह कि ऐसा अवकाश अध्यापिका के एक सेवा अवधि में एक बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।

(7) अवकाश अधिकार–स्वरूप नहीं माँगा जा सकता है। परिस्थिति की अत्यावश्यकता को देखते हुए स्वीकृति प्राधिकारी किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करने से इंकार कर सकता है और यहाँ तक कि पहले से ही स्वीकृत अवकाश को भी रद्द कर सकता है।

(8) असाधारण अवकाश को छोड़कर, जो प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, अवकाश स्वीकृति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कुलपति होगा।

अध्यापकों/कर्मचारियों के लिए आचार संहिता– 26. जो अध्यापक/कर्मचारियों अपने उत्तरदायित्वों के प्रति तथा युवकों के चरित्र–निर्माण एवं ज्ञान, बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति को अग्रसर करने के संबंध में जो विश्वास उसमें निहित किया गया है, उसके प्रति जागरूक है, उन अध्यापकों में इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि वह नैतिक–नेतृत्व की अपनी भूमिका का निर्वाह समर्पण, नैतिकनिष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म में पवित्रता की भावना से ओत–प्रोत रहकर उपदेश की अपेक्षा आचरण द्वारा अधिक करेगा।

अतः उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप यह आचरण–संहिता बनायी जाती है, जिसका पालन विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों द्वारा वस्तुतः निष्ठापूर्वक किया जाये–

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(क) प्रत्येक अध्यापक/कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों, समनुदेशित या विवक्षित, का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्त्तव्यपरायणता से करेगा;

(ख) कोई भी अध्यापक/कर्मचारी छात्रों का अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा और न ही उन्हें उत्पीडित करेगा;

(ग) कोई भी अध्यापक/कर्मचारी किसी एक छात्र को अन्य छात्र के विरुद्ध या अपने साथी अध्यापकों या विश्वविद्यालय के विरुद्ध उद्दीप्त नहीं करेगा;

(घ) कोई भी अध्यापक/कर्मचारी जाति, मत, पंथ, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर छात्रों में भेद–भाव नहीं करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिए उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा;

(ङ) कोई भी अध्यापक/कर्मचारी, यथास्थिति विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के समुचित निकायों तथा कृत्यकारियों के विनिश्चियों को कार्यान्वित करने से इंकार नहीं करेगा;

(च) कोई भी अध्यापक/कर्मचारी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके संबंध में प्राधिकृत न हो;

(छ) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का कोई भी अध्यापक/कर्मचारी धन अर्जित करने के उद्देश्य से नियमित कक्षाओं के उपरांत छात्रों को अध्ययन, व्याख्यान अथवा कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से निर्देशित नहीं करेगा;

(ज) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का कोई भी अध्यापक/कर्मचारी, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा समनुदेशित रोजगार के अलावा अन्य कोई रोजगार नहीं करेगा;

(झ) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का कोई भी अध्यापक/कर्मचारी विश्वविद्यालय में किसी प्रकार के Lobbying से अंतर्ग्रस्त नहीं होगा;

(ट) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई अध्यापक/कर्मचारी सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा,

(ठ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई अध्यापक/राजनीतिक गतिविधियों, उदाहरणार्थ लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय अथवा सहकारी समितियों के चुनाव लडना, में स्वयं

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

को नहीं लगायेगा;

(ड) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई अध्यापक/कर्मचारी न तो किसी प्रकार के हड़ताल, आंदोलन, धरना, गैर–कानूनी और अनैतिक नारे लगाने या उन्हें दीवार पर लिखना जैसी गतिविधियों में भाग लेगा और न ही किसी छात्र या सह–अध्यापक/सह–कर्मी को वैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए उकसायेगा;

(ढ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई अध्यापक/कर्मचारी विश्वविद्यालय परिसर में दैनिक कार्यावधि में संघ संबंधी किन्हीं गतिविधियों में भाग नहीं लेगा;

(ण) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई अध्यापक/कर्मचारी कर्त्तव्यकाल में संघ या संगम के लिए किसी प्रकार का संदान नहीं इकट्ठा करेगा;

(त) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई अध्यापक/कर्मचारी विश्वविद्यालय के हितों और उद्देश्यों के विरुद्ध अपमानजनक भाषण नहीं देगा;

(थ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई अध्यापक/कर्मचारी किसी ऐसे कार्यों में संलिप्त नहीं होगा जो देश की विधि के विरुद्ध हो;

(द) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई अध्यापक/कर्मचारी स्वयं को किसी कृत्य, जो एक औसत मनुष्य के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हो, में संलिप्त नहीं करेगा;

(ध) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई अध्यापक/कर्मचारी स्वयं को ब्याज पर धन उधार देने के व्यापार में संलिप्त नहीं करेगा;

(न) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई अध्यापक/कर्मचारी किसी प्रकार का मद्यपान अथवा धूम्रपान नहीं करेगा अथवा मादक द्रव्यों का दुरुपयोग या पान मसाला अथवा गुटका या अन्य किसी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन नहीं करेगा;

(प) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई अध्यापक/कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाले दैनिक प्रार्थना, बैठकों, यज्ञ, हवन इत्यादि में भाग लेगा;

(फ) विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का कोई अध्यापक/कर्मचारी सख्ती से विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के नियमानुसार वर्दी संबंधी आचार संहिता का अनुसरण करेगा;

(ब) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई अध्यापक/कर्मचारी स्वयं को ऐसी किसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं करेगा जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के विरुद्ध हो और जिसे प्रबन्ध मण्डल की राय में दुराचार माना जा सके। इस संबंध में

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

प्रबन्ध मण्डल का निष्कर्ष अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के कर्मचारियों को हटाया जाना

27 (1) जब विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के किसी कर्मचारी के विरुद्ध दुराचरण का आरोप हो, तो समुचित प्राधिकारी, जो उस कर्मचारी का नियोक्ता है और जिसे यहाँ आगे "नियुक्ति प्राधिकारी" कहा गया है, कर्मचारी को एक लिखित आदेश द्वारा निलंबन कर सकता है और प्रबन्ध मण्डल को उन परिस्थितियों, जिनमें वैसा आदेश जारी किया गया, की आख्या भेजगा:

परन्तु यह कि प्रबन्ध मण्डल ऐसा आदेश प्रतिसंहृत कर सकता है, अगर उसकी राय में परिस्थितियाँ कर्मचारी के निलंबन का समर्थन न करती हो,

(2) कर्मचारी की नियुक्ति संविदा अथवा किन्हीं अन्य सेवा शर्तों में किसी बात के होते हुए भी कर्मचारी से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के पास कदाचार के आधार पर कर्मचारी को हटाने की शक्ति होगी।

(3) उपर्युक्त के सिवाय, नियुक्ति प्राधिकारी एक माह की पूर्व सूचना या उसके बदले में एक माह का वेतन देकर किसी कर्मचारी को, सेवा से हटा सकता है।

(4) अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई से सम्बन्धित सारी शक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होंगी।

(5) जहाँ कर्मचारी सेवा से हटाये जाने की तिथि को निलंबित में हो, वहाँ सेवा से हटाया जाना निलंबन की तिथि से ही प्रभावी होगा।

(6) परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी कोई कर्मचारी पद–त्याग कर सकता है–

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है, तो नियुक्ति प्राधिकारी को तीन माह की लिखित सूचना देने के बाद ही, अथवा उसके बदले में तीन माह का वेतन भुगतान करके ही;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह की लिखित सूचना देने के बाद ही अथवा उसके बदले में एक माह का वेतन भुगतान करके ही:

परन्तु यह कि ऐसा पद–त्याग केवल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्याग पत्र स्वीकार किए जाने

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

की तिथि से ही प्रभावी होगा।

(7) यदि किसी कर्मचारी को जाँच के दौरान निलंबित रखा गया हो तो उसे निलंबन की अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन–निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

(8) निलंबित कर्मचारी को निलंबन की तिथि से दो माह के अंदर आरोप–पत्र दिया जाना आवश्यक होगा।

(9) यदि अनुशासन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी, जाँच आख्या के आधार पर और उल्लिखित नियमों के अंतर्गत, दीर्घ शास्ति या कोई अन्य अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित करता है, तो ऐसे मामले में उक्त कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा।

(10) यदि अनुशासन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध दीर्घ शास्ति या कोई अन्य अनुशासनिक कार्रवाई, जो कि जाँच अधिकारी के निष्कर्षों के प्रतिकूल हो, प्रस्तावित करता है, तो ऐसे आदेश में दीर्घ शास्ति या कोई अन्य अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का कारण दिया जाना आवश्यक होगा।

(11) अनुशासन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी, नियमों के अधीन, गलती करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध लघु शास्तियाँ भी अधिरोपित कर सकता है।

(12) कर्मचारी, जिसके विरुद्ध दीर्घ शास्ति या कोई अन्य अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ या अधिरोपित की गई हो, वैसे आदेश के विरुद्ध आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी से ठीक उच्च वरिष्ठ प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(13) किसी विवाद अथवा जाँच के लंबन के दौरान आरोपित कर्मचारी पद–त्याग कर सकता है, लेकिन ऐसा पद–त्याग नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के अध्यधीन होगा।

माध्यस्थम् अधिकरण

28 (1) विश्वविद्यालय तथा अध्यापकों/कर्मचारियों के बीच संविदा, या अन्यथा, के फलस्वरूप उत्पन्न विवादों के निस्तारण के लिए माध्यस्थम् अधिकरण का गठन किया जा सकेगा।

(2) माध्यस्थम् अधिकरण की संरचना प्रत्येक ऐसे समय, जब विवाद उत्पन्न हो, पर की जा सकेगी और विवाद निस्तारण के बाद भंग

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

की जा सकेगी।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण में प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियुक्त एक सदस्य, अध्यापक/कर्मचारी द्वारा नियुक्त एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक समाविष्ट होंगे।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किसी मामले में उस अधिकरण का विनिश्चय दोनों पक्षकारों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(5) माध्यस्थम् अधिकरण, अपने को निर्देशित किसी मामले में, विश्वविद्यालय के संबद्ध अध्यापक/कर्मचारी को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

(6) किसी विवाद को माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष निर्देशित करने के बाद अगर कोई अध्यापक/कर्मचारी अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तब अधिकरण एक पक्षीय सुनवाई के लिए अग्रसर हो सकता है।

(7) अधिकरण विवाद की सुनवाई उल्लिखित विधि के अनुसार करने के बाद एक विनिश्चय पारित करेगा और उस विनिश्चय की प्रति विश्वविद्यालय के कार्यालय के सूचना पट पर चिपकायेगा और ऐसे विनिश्चय के सूचना पट पर चिपकाये जाने की तिथि को सम्बन्धित अध्यापक/कर्मचारी की जानकारी में आने की तिथि माना जायेगा।

(8) किसी विवाद का विनिश्चय करते समय अधिकरण विश्वविद्यालय के समुचित अनुशासन और सम्बन्धित अध्यापक/कर्मचारी के न्यायसंगत हितों का ध्यान रखेगा।

(9) अधिकरण उसको निर्देशित विवादों की सुनवाई और विनिश्चयन केवल विश्वविद्यालय परिसर में ही की गई बैठकों के जरिये करेगा।

(10) निर्देशित विवादों के विनिश्चयन के दौरान अधिकरण के सदस्यों में मतैक्य न होने की स्थिति में अधिकरण के अधिनिर्णायक की राय अभिभावी होगी।

अपील

29. (1) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी घटक महाविद्यालय के प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध अपील की जा

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सकेगी, यदि उस विनिश्चय से घटक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक/कर्मचारी या छात्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो और उस अपील को विनिश्चय के तामील होने के सात दिनों के अंदर प्रबन्ध मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो।

(2) किसी अपील के उपपरिनियम (1)के अंतर्गत अपने समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर, प्रबन्ध मण्डल उनके सुनवाई और विनिश्चयन के लिए एक तीन सदस्यीय अपील समिति नियुक्त करेगा।

(3) उपपरिनियम (2) में वर्णित अपील समिति प्रति–कुलपति/कुलपति या उसके द्वारा उसका प्रतिनिधित्व करने हेतु नाम–निर्देशित कोई सदस्य, श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट द्वारा प्रबन्ध मण्डल के लिए नाम–निर्देशित पाँच व्यक्तियों में से एक सदस्य और प्रबन्ध मण्डल का कोई एक अन्य सदस्य से मिलाकर बनेगी।

(4) अपीलीय समिति समान्यतया अपील की सुनवाई केवल विश्वविद्यालय परिसर में ही करेगी।

(5) अपील के विनिश्चयन में मतभेद होने की दशा में बहुमत से किया गया विनिश्चय अभिभावी होगा।

(6) प्रबन्ध मण्डल के समक्ष कोई अपील प्रस्तुत करने के बाद यदि किसी घटक महाविद्यालय का कोई अध्यापक/कर्मचारी या छात्र अपील समिति के समक्ष अपनी दायर शिकायत का स्पष्टीकरण देने के लिए उपस्थित होने में असफल रहता है, तब प्रबन्ध मण्डल अपील की एक पक्षीय सुनवाई के लिए अग्रसर होगा।

(7) अपील समिति उपबंधित रीति से सुनवाई के उपरांत अपील का विनिश्चय करेगी और उस विनिश्चय की प्रति को विश्वविद्यालय कार्यालय के सूचना पट पर चिपकवायेगी और ऐसे विनिश्चय के सूचना पट पर चिपकाये जाने की तिथि को संघटक महाविद्यालय के सम्बन्धित अध्यापक/कर्मचारी या छात्र की जानकारी में आने की तिथि माना जायेगा।

(8) अपील के सुनवाई के दौरान अपीलीय समिति विवाद के वृहत्तर पहलू से सरोकार रखेगी और गौण ब्यौरों एवं तकनीकि त्रुटियों में नहीं जायेगी।

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

अध्याय–सात

छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासनिक बनाए रखना

30. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन एवं अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित समस्त शक्तियाँ प्रति कुलपति/कुलपति में निहित होंगी, जो कि स्वप्रेरणा अथवा विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति की आख्या पर कार्यवाही करेगा।

(2) कुलपति अपनी समस्त अथवा किन्हीं शक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझें, कुलानुशासक अथवा ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे वह इस हेतु विनिर्दिष्ट करें, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) कुलपति अनुशासन बनाये रखने एवं ऐसी कार्यवाही करने, जैसी उसे अनुशासन बनाये रखने हेतु उचित लगे, संबंधी सामान्य शक्तियों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, कुलपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश द्वारा निर्देशित कर सकेगा, कि किसी विद्यार्थी/विद्यार्थियों को स्थायी रूप से अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासित कर दिये जायें अथवा विश्वविद्यालय के महाविद्यालय, संस्था अथवा विभाग में अध्ययन के पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यक्रमों में उल्लिखित अवधि के लिए उन्हें प्रवेश न दिया जाये अथवा आदेश में विनिर्दिष्ट धनराशि के अर्थदंड से दंडित किया जाये अथवा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्था अथवा विभाग द्वारा संचालित परीक्षा अथवा परीक्षाओं में एक वर्ष या अधिक वर्षों के लिए भाग लेने से वंचित किया जाये अथवा विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों के संबंधित परीक्षा अथवा परीक्षाओं, जिनमें उसने अथवा उन्होंने भाग लिया हो, के परीक्षा फल रोके अथवा रद्द किये जायें।

(4) विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्य, अध्ययन महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्षों को विश्वविद्यालय में क्रमशः अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं, महाविद्यालयों एवं शिक्षण विभागों में छात्रों पर ऐसी समस्त शक्तियों को प्रयोग करने का प्राधिकार होगा जो कि ऐसे महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यालयों एवं शिक्षण विभागों के उचित संचालन हेतु आवश्यक हों।

(5) कुलपति/प्रतिकुलपति, संकायाध्यक्ष एवं अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले विश्वविद्यालय द्वारा अनुशासन एवं उचित संचालन के विस्तृत नियम बनाये जायेंगे। विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्य, अध्ययन महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष भी ऐसे अनुपूरक नियम जैसे वह उपरोक्त प्रयोजनों हेतु

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

आवश्यक समझें, बना सकेंगे।

(6) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को इस आशय का घोषणा पत्र, कि वह स्वयं को, विश्वविद्यालय के कुलपति/प्रति–कुलपति एवं अन्य प्राधिकारियों के अनुशासन अधिकारिता के प्रति समर्पित करता है, हस्ताक्षरित करना होगा।

अध्याय–आठ

मानद् उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया

दीक्षान्त समारोह

31. (1) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताएँ प्रदान करने के लिए ऐसे दिनांक और ऐसे समय पर जैसा कि प्रबन्ध मण्डल नियत करे, एक दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा सकेगा।

(2) कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा विशेष दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा सकेगा।

(3) दीक्षांत समारोह समिति प्रबन्ध मण्डल द्वारा समय–समय पर विनिश्चित व्यक्तियों से गठित होगी।

(4) इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षांत समारोह पर एवं अन्य संबंधित मामलों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसे कि नियमों में अधिकथित हो।

(5) जहाँ विश्वविद्यालय परिनियमों के अनुसार दीक्षांत समारोह आयोजित करना सुविधाजनक नहीं पाता है, तो उपाधि, डिप्लोमा एवं अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताएँ अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से हस्तगत कर दी जायेंगी अथवा अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर दी जायेंगी।

मानद उपाधि

32 (1) प्रबन्ध मण्डल शैक्षिक परिषद की संस्तुति पर एवं उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित संकल्प के द्वारा कुलाधिपति को मानद उपाधि प्रदान करने हेतु प्रस्ताव भेज सकेगा।

(2) प्रबन्ध मण्डल उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित संकल्प के द्वारा किसी व्यक्ति को

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी मानद उपाधि को प्रत्याहृत करने हेतु प्रस्ताव कर सकेगा:

परन्तु मानद उपाधि को प्रत्याहृत करने का संकल्प कुलाधिपति के अनुमोदन के अधीन होगा।

डिग्री, डिप्लोमा का प्रत्याहरण

33 प्रबन्ध मण्डल उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित विशेष संकल्प के द्वारा प्रदान की गयी उपाधि अथवा शैक्षिक विशेषता अथवा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा अनुदत्त प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा किसी उचित एवं पर्याप्त कारण पर प्रत्याहृत कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव, तब तक पारित नहीं किया जायेगा, जब तक उस व्यक्ति को लिखित नोटिस, ऐसे समय में जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि ऐसा प्रस्ताव क्यों न पारित कर दिया जाये, न दे दिया गया हो एवं ऐसा प्रस्ताव ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों और साक्ष्य, यदि कोई हो तो, पर विचार करने के बाद ही पारित किया जायेगा।

अध्याय—नौ

विद्यावृत्तियों और छात्रवृत्त्यिों की स्वीकृति, अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, फीस, माफी, पदकों और पारिपोषकों की प्रदान करना

अधिछात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कार को संस्थित करना

34 (1) शैक्षिक परिषद की संस्तुति पर और नियमों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रबन्ध मण्डल अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिकाएँ, पदक और पुरस्कारों का अध्ययन, अनुसंधान या किसी दूसरे वांछित गुण की मान्यता, उन्नयन या प्रोत्साहन के लिए विश्वविद्यालय की निधियों या प्राप्त संदानों में से संस्थित कर सकता है।

(2) पुरस्कारों को इसके लिए नियुक्त समिति की संस्तुति पर दिया जायेगा।

(3) उपर्युक्त समिति की नियुक्ति और पुरस्कार दिये जाने की रीति नियमों द्वारा उपबंधित होंगे।

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

अध्याय—दस

विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिये जाने वाला शुल्क

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क

35. (1) प्रत्येक पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत छात्र को प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।

(2) किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क ही देय होगा जो कि आगामी 3 शैक्षिक सत्रों तक मान्य होगा। तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पश्चात विश्वविद्यालय शुल्क के पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(3) सभी पंजीकृत छात्रों को विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज/विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक या उसके पूर्व वार्षिक/अर्धवार्षिक शिक्षण शुल्क अदा करना होगा।

(4) अकादमिक विशिष्टता शुल्क प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(5) शुल्क वापसी का कोई भी मामला विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल को भेजा जायेगा, जो राष्ट्रीय एवं राज्य की नीति एवं नियामक संस्था के दिशा–निर्देशों के अधीन निर्णय लेगा।

अध्याय–ग्यारह
विविध

श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट द्वारा समयदान पर प्रति नियुक्ति

36. (1) श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उसके दिन–प्रतिदिन के प्रशासन, अध्ययन अथवा अन्य गतिविधियों में सहायता हेतु कितनी ही संख्या में समयदानी, (वह जो स्वैच्छिक और नियमित रूप से श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट जो कि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं0 श्रीराम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीया माता भगवती देवी शर्मा, दोनों ही गायत्री परिवार के संस्थापक द्वारा सृजित किया गया है कि गतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु अपना समय देते हैं), प्रतिनियुक्त कर सकेगा। उन्हें कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति, कुलसचिव एवं श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट द्वारा नामित दो सदस्यों द्वारा गठित समिति के विवेक पर किभी भी प्राधिकारी/अधिकारी के साथ संबद्ध किया जा

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सकेगा।

(2) ऐसे समयदानियों का विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के साथ कभी भी स्वामी-सेवक का संबंध नहीं होगा। यद्यपि ऐसे समयदानी विश्वविद्यालय में अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों के समस्त नियमों एवं विनियमों का पालन करेंगे।

(3) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की संस्तुति पर अथवा स्वयं भी श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट के पास, अपने किसी समयदानी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से जैसे और जब वांछित हो अथवा उसके द्वारा आवश्यक समझे जाने पर वापस बुलाने की अनन्य शक्ति होगी।

(4) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में समयदानी की गतिविधियों से संबंधित किसी विवाद को अपनी आख्या सहित विश्वविद्यालय द्वारा श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट को संदर्भित किया जायेगा, जो कि मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, किसी समिति के सदस्य अथवा प्राधिकारी के लिए निर्हतायें

37 (1) कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की किसी समिति/प्राधिकारी का अधिकारी या सदस्य होने से, या चुने जाने से, निरर्हत हो जायेगा, यदि वह–

(क) विकृत चित्त का हो;

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया घोषित हो गया हो;

(ग) विधि के न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अधमता के अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ हो और उसके संबंध में तीन माह से अधिक के कारावास का दंडादेश पाया हो,

(घ) इस परिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों एवं विनियमों के अधीन प्रबन्ध मण्डल द्वारा दुराचार का दोषी पाया गया हो।

(2) यदि किसी व्यक्ति के बारे में उपपरिनियम (1) (क), (ख), (ग) और (घ) में उल्लिखित निरर्हताओं की वर्तमान या भूतकाल में अध्यधीनता से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसे प्रबन्ध मण्डल के समक्ष निर्देशित किया जायेगा, जिसका विनिश्चयन अंतिम होगा और उस विनिश्चयन के विरुद्ध कोई वाद अथवा कार्रवाई किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जायेगी।

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

अवैतनिक सेवाएँ

38 विश्वविद्यालय किसी क्षेत्र में उसकी आवश्यकता के अधीन, ऐसे व्यक्तियों की, जो स्वैच्छिक रूप से अवैतनिक एवं मानदेय पर विश्वविद्यालय के निबंधन एवं शर्तों पर कार्य करने के लिए इच्छुक हों, सेवाएँ स्वीकार कर सकेगा एवं ऐसी सेवाएँ किसी भी प्रकार से स्वामी एवं सेवक के संबंध के दायरे के अंतर्गत नहीं आयेगी।

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of 'the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No: ..... date: ..... for general information.

THE DEV SANSKRITI VISHWAVIDYALAYA FIRST STATUTES, 2023

In exercise of the power conferred by section 26 of the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Act 2002 (Uttarakhand Act No 04 of 2002), the Governor is pleased to allow to make the First Statutes of the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya:-

CHAPTER-ONE
Preliminary

Short title and Commencement 1. (1) These Statutes may be called the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya First Statutes, 2023.

(2) It shall come into force at once.

Definitions 2. (1) In these Statutes unless, the subject or the context otherwise requires-

(a) **"Academic Council"** means the Academic Council of the University.

(b) **'Act'** means the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Act, 2002;

(c) **"Appointing Authority"** for Vice-Chancellor, Registrar and Finance Officer shall mean the Chancellor and for all other posts it shall mean the Vice-Chancellor.

(d) **'Administrative Staff'** means such employees of the University who are appointed in the University, its constituent colleges, Departments, Regional centre and study centres for administrative functions.

(e) **"Faculty"** means faculty of the University;

(f) **'Section'** means a section of the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Act, 2002;

(g) **"Shri Vedmata Gayatri Trust"** means a registered Charitable Trust at Shantikunj, Haridwar;

(h) **"Teacher"** means a Professor, Associate Professor,

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

Assistant Professor or such other person who may be appointed for imparting education or conducting research in the University or in a constituent college and includes the principal of a constituent college.

(i) **'University'** means Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Gayatrikunj–Shantikunj, Haridwar;

(j) **"Admission and Fee Regulatory Committee"** means the committee constituted under sub-clause (1) of section 4 of Uttarakhand Unaided Private Professional Education Institutions (Regulation of Admission and fixation of fee) Act. 2006 (As Amended).

(2) Words and expressions used in these Statutes but not defined the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Act 2002 shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

CHAPTER-TWO
Officers of the University

The Chancellor

3. The Chancellor shall have the following powers, namely:

(1) The Chancellor shall by virtue of his office be the head of the University and overall in-charge of all the functions of the University.

(2) The Chancellor may, while considering any matter referred to him or *suo moto*, call for such documents or information from the University, as he may deem necessary and may, in any other case, ask for any documents or information from the University.

(3) Where the Chancellor calls for any documents or information from the University, it shall be the duty of the Registrar to ensure that such documents or information are promptly supplied to him.

(4) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor willfully omits or refuses to carry out the provisions of the Act or abuses the powers vested in him and if it appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, suspend the Vice-Chancellor after making such enquiry as he deems proper and after

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

providing him an opportunity of being heard, by order, remove the Vice-Chancellor.

Note: Above may be removed as is covered under appointment of VC.

(5) The Chancellor Shall, if present, preside at the convocation of the University for conferring degrees and at all other meetings which he deems fit and may delegate such powers as be necessary.

(6) The Chancellor shall have the power to instruct the Board of Governors to nominate an observer or observers who shall from time to time under his advice and directions, decide the policy and framework within which the Board of Management, Academic Council, Finance Committee and such other authorities hereinafter indicated in the present statues will function and pass resolutions for the appropriate administration and academic functions in the University.

(7) The Chancellor shall act as appointing and disciplinary authority for officers of the university (Group A &B) and appellate authority for other positions.

(8) The Chancellor shall have the power to call for any information(s) / documents (s) of the University of Whatsoever Nature from any officer(s)/employee(s) / board (s) /committee (s) or anybody / bodies of the University and to issue directions to take prior approval in such matters as he deems fit.

(9) During the absence of the Chancellor, for any reason the person nominated by the Chancellor shall act as Officiating Chancellor. However, such officiating Chancellor cannot exercise any statutory powers.

The Vice- Chancellor 4. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three persons who shall be recommended by a committee as constituted in accordance with section 12 (2) of the Act.

Provided that if with citing reasons the Chancellor does not approve of any of the persons included in the panel, he may call

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

for a fresh panel of three persons (other than those already recommended) from the committee and after considering the panel he may appoint any person whom he deems fit to be the Vice-Chancellor.

(2) The Vice-Chancellor shall be appointed as per the eligibility, service conditions and procedures as laid down by the Act or by-laws/ordinances/rules framed by the university and in accordance with the regulations & guidelines *of UGC/ Regulatory;*

(3) *In case the Chancellor at any time during the tenure of a Vice-Chancellor feels and is satisfied that the person* holding*the office of the Vice-Chancellor is not able to perform the duties assigned to him as directed under the Act, Statues, Rules, and Regulations or the Administration of the University is not being and / or cannot be carried out by such a person efficiently, the Chancellor by a notification may recall/remove Vice-Chancellor before completion of his term by an enquiry/show-cause notice as*deemed fit.

(4) The Vice-Chancellor shall have the power to call for any such document(s) and/or information(s) concerning any matter connected with teaching, examination, research, finance or any matter affecting the discipline or efficiency of teaching or of any other nature from any constituent college/Institute/faculty, as he deems fit.

(5) If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation, *completion of the term* or any other reason or if he is unable to discharge his duties due to ill-health or any other reason, pro- Chancellor or the Chancellor may nominate any suitable person to perform the duties of the Vice-Chancellor *for a period not exceding one year or appointment of vice chancellor; whichever is earlier.*

Further, during the absence of Vice-Chancellor due to leave, tour etc. the Pro-Vice-Chancellor shall discharge the duties of the Vice-Chancellor. In event of meeting of any of the authorities scheduled during this period, the Chancellor may authorize the Pro-Vice-Chancellor to *Chair* the meetings.

(6) The Vice-Chancellor shall be ex-officio Chairman of the Board of Management, the Academic Council, Selection Committee, Examination Committee, Admission Committee, Finance Committee and ex-officio member secretary of the Board of Governors.

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(7) The salary and emoluments of the Vice-Chancellor shall be in accordance with the state act or by-laws/ordinances/rules framed by the university

(8) The Vice-Chancellor as the Chairman of various authorities of the university shall be member chairman but shall not be entitled to vote:

Provided that in the case of an equality of vote or any of the matters, the Vice-Chancellor may opt to vote.

(9) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that the Act, the Statutes, the Rules and the Regulations are duly &faithfully observed.

(10) The Vice-Chancellor shall exercise control over the affairs of the University and shall ensure implementation of the decisions of the Authorities of the University

(11) The Vice-Chancellor shall act as appointing and disciplinary authority for officers of the university (Group C &D) and appellate authority for other positions. The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the university or its constituent college/institutions and he may delegate any of such powers to any such authority as he may deem fit

(12) With the prior approval of the Chancellor, the Vice-Chancellor shall constitute, or cause to be constituted, all the Boards, Faculties, Committees or Authorities, as and when necessary, under the Act and the Statutes.

The Pro- Vice-Chancellor

5. (1) Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Chancellor .

(2) The person to be appointed as Pro-Vice-Chancellor must be a good academician, a person of good repute, devoted to work selflessly.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed for the term as laid down by the Act or by-laws/ordinances/rules framed by the university:

Provided that Pro-Vice-Chancellor after expiring of term shall be eligible for re-appointment.

(4) The salary and emoluments of the Pro-Vice-Chancellor shall be in accordance with the by-laws/statutes/Act/ordinance of the university.

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(5) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Board of Management in this behalf from time to time and shall also exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by the Chancellor or Vice-Chancellor.

Deans (Academics) 6. (1) Dean(Academics) shall be appointed by the Vice-Chancellor from among the Professors in the Faculties/Campuses for a period of three years and he may be eligible for reappointment.

(2) The term of office of the Dean(Academics) shall be three years unless terminated earlier by the Board of Management. If a casual vacancy occurs in the office of the Dean(Academics), the senior most Professor and where no Professor is available in the faculty, the senior most Associate Professor in the Faculty shall perform the duties of the Dean(Academics). The deans (Academics) of various schools of the University shall work under Dean (Academics).

(3) No person shall continue to be a Dean after he has ceased to hold the post by virtue of which he came to hold the office of Dean(Academics) .

(4) For the purpose of computing the period during which a teacher has held the office of Dean(Academics) -

(a) Any period during which such teacher was prevented from entering upon or continuing in the office of Dean(Academics) by an order of any Officer of the University or of any court, shall be excluded.

(b) Any period during which any teacher has, under an order of any officer of University or of any court, been allowed to hold the office of Dean(Academics), it being ultimately found that he was not legally entitled to hold such office during that period, shall count towards his term of office of Dean(Academics) when he gets his turn in future.

(5) The Dean(Academics) shall have the following duties and powers:

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(a) He shall preside at the all meetings of the Board of faculties and shall ensure that the various decisions of the Board are implemented.

(b) He shall be responsible for bringing the financial and other requirements of the faculty to the notice of the Finance Officer and Vice-Chancellor.

(c) He shall take necessary measures for the proper custody and maintenance of libraries, laboratories and other assets of the departments of the faculty.

(d) He shall have the right to be present and to address any meeting of Academic Council pertaining to his faculty but shall have no right to vote unless he is a member of academic council.

The Registrar

7. (1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of a selection committee constituted for this purpose and he shall be the full-time officer of the University. He shall hold office for a term of three years from the date he assumes the office of the post.

(2) The eligibility & service conditions of the Registrar shall be as per the state act or by-laws/ordinances/rules of the University *and in accordance with the regulation &guidelines of UGC / Regulatory body*.

(3) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other cause unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(4) The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Board of Management and Academic Council but shall be a non-voting member of any of these authorities .

(5) Subject to the provisions of the Act and the Statutes, the Registrar shall be appointing and disciplinary authority for the posts of Group C &D.

An employee of the University aggrieved by an order referred to in above, may order an appeal to the Disciplinary

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

Committee within fifteen days from the date of service of such order on him. The decision of Committee on such appeal shall be final.

(6) Subject to the provisions of the Act, it shall be the duty of the Registrar-

(a) To be the custodian of all the properties and records of the university.

(b) To issue all notices convening meetings of the various authorities with the approval of the competent authority concerned and to keep the minutes of all such meetings.

(c) To present copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University before the Chancellor as soon as they are issued and the minutes of such meetings and any documents or information called for by the Chancellor from the University.

(d) To conduct the Official correspondence of the Board of Management and the Academic Council.

(e) To exercise all such powers as may be necessary or expedient for carrying into effect the orders of the Chancellor, Vice-Chancellor or various authorities or bodies of the University of which he acts as secretary.

(f) To represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney/affidavits and verify pleadings or depute his representative for these purposes..

The Finance Officer

8. (1) The Finance Officer shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of Shri Vedmata Gayatri Trust. *Eligibility for the post of Finance Officer shall be in accordance with the regulation &guidelines of UGC / Regulatory Body.* His/her term shall be for three years and may be eligible for reappointment.

(2) The salary/honorarium of the Finance Officer shall be such as may be prescribed in the Regulations/Rules/Act/Ordinances of the University.

(3) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of the office, the duties of

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

the office shall be performed by the Registrar or by any officer as the Chancellor may nominated substitute for the purpose.

(4) The Finance Officer shall have the following powers:

(a) Exercise general supervision over the funds of the University and shall advise Chancellor and Board of Management with regard to its financial policies; and

(b) Perform such other financial functions as may be assigned to him by the Board of Management or as may be prescribed by the Statutes and Rules

(5) Subject to the control of the Board of Management, the Finance Officer shall:

(a) Valuation/book value of the property/assets/non consumable and proper stocking and stock taking as well as investments of the University including properties obtained on lease or otherwise from Shri Vedmata Gayatri Trust will be the responsibility of finance office.

(b) ensure that the limits fixed by the Board of Management for recurring and non-recurring expenditure for an year are not exceeded and that all funds are spent on the object for which they are/were specifically granted or allotted

(c) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University for their presentation to the Board of Management

(d) keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments and keep the Board of Management well informed about any unusual changes;

(e) be responsible for the maintenance and preservation of account books, registers and documents related thereto, maintained in the University.

(f) be responsible for conducting the internal and statutory audit of the accounts of the University;

(g) watch progress of the collections of revenue and

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

provide expert advice on the possible modes of collection to be followed;

(h) ensure that the Fixed Assets Register is maintained upto date and that physical verification is conducted, annually/periodically of such assets in all offices, laboratories, Colleges and Institutions maintained by the University;

(i) call for/from any office, Center, Laboratory, Department, Unit, College, Institution or other body maintained by the University, any information(s) or document(s) that he may consider necessary for the performance his duties;

(j) shall exercise general supervision over the funds of the University;

(k) may advise the University in any financial matter either *suo moto* or on his advice being sought;

(l) shall collect the income, disburse the payments and maintain the accounts of the University;

(m) shall probe into and bring to the notice of Vice-Chancellor any unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest to the competent authority, disciplinary action against guilty or responsible persons.

(n) shall arrange for the conduct of continuous internal audit of the accounts of the University, and shall pre-audit such bills as may be required in accordance with any standing orders in that behalf;

(o) shall perform such other functions in respect to financial matters as may be assigned to him by the Board of Management or to the Vice-Chancellor

CHAPTER-THREE
Other officers of the University

Other officers of the University

9. In addition to the officers specified in Section 10, there shall be the following other officers of the University, namely:-

1. Deens of Students Welfare;
2. Head of Department;

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

3. the Proctor;

Deens of Students Welfare

10. (1) The Dean of Students Welfare shall be appointed by the Board of Management on the recommendation of Shri Vedmata Gayatri Trust.

(2) The teacher who is appointed as a Dean of Students Welfare shall perform his duties as Dean in addition to his own duties as teacher.

(3) The term of office of the Dean of Students Welfare shall be two years unless terminated earlier by the Board of Management and the Board of Management shall have the right to reappoint any Dean of Students Welfare on the recommendation of Shri Vedmata Gayatri Trust, keeping in view his past performance as Dean of Students Welfare and his impact and influence on the Students of the University.

(4) The Dean of Students Welfare shall be assisted by a set of three teachers selected by him with the approval of Vice-Chancellor who shall perform their duties in addition to their normal duties of teacher. The teachers so selected shall be called Assistant Deans of Students Welfare.

(5) One of the Assistant Deans of Students Welfare shall be appointed from amongst the lady teachers of the University on the recommendation of Shri Vedmata Gayatri Trust, who shall look after welfare of the women students.

(6) It shall be the duty of the Dean of Students Welfare and the Assistant Deans of Students Welfare to assist the students in the general matters requiring help and guidance and, in particular, to help and advice students and prospective students in-

(a) Obtaining admission to the University and its courses;

(b) The choice of suitable courses ;

(c) Finding residential accommodation;

(d) Providing mess arrangements;

(e) Obtaining medical advice and assistance;

(f) Securing scholarships, stipends, part - time

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

employment and other necessary assistance.

(g) Securing facilities for further studies in India or abroad and;

(h) Conducting themselves in proper pursuit of academic studies as to maintain the traditions of the university as laid down in the rules.

(7) Nothing contained in the substatute 6 could be claimed as of right by any student of the University but the Board of Management would be empowered to add, amend, alter or repeal any such duties of the Dean of Students Welfare and the Assistant Deans of Students Welfare

(8) The Dean of Students Welfare may communicate with the guardian of the students in respect of any matter requiring their assistance when necessary.

(9) The Dean of Students Welfare shall exercise general control over the Superintendent or Assistant Superintendent of Physical Education and the Medical Officer of the university. He shall also perform such other duties as may be assigned to him by the Board of Management or the Vice-Chancellor.

(10) The Vice-Chancellor may consult the Dean of Students Welfare before taking any action against a student on disciplinary grounds.

(11) The Dean of Students Welfare may be paid such quantum of honorarium as per the state act or by-laws/ordinances/rules of the University.

Head of Department

11. The senior most teachers in each department of the University shall be the Head of that Department. However, the Board of Management shall have the power to remove or change the Head of the Department

the Proctor

12. (1) The Proctor shall be selected from amongst the teachers of the University by the Board of Management on the recommendation of Shri Vedmata Gayatri Trust. The proctor shall assist the Vice-Chancellor in the exercise of his disciplinary authority in respect to students of the University and shall also exercise such powers and perform such duties in respect to discipline as may be assigned to him by the Vice-Chancellor in this behalf.

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

The Proctor shall be assisted by the assistant proctors whose number shall be fixed by the Board of Management from time to time. The Assistant Proctor shall be selected by the vice-chancellor in consultation with the Proctor.

(2) The Proctor and the Assistant Proctor shall hold office for one year and they may be eligible for re-selection:

Provided that till his successor is selected, every Proctor or Assistant Proctor shall continue in office.

However, the Board of Management may on the recommendations of the Vice-Chancellor, remove the Proctor and Assistant Proctor before the expiry of the said period.

CHAPTER-FOUR
Authorities of the University

The Board of Governors

13. (1) The meeting of the Board of Governors shall be Chaired by the Chancellor. In his absence, a member designated by the Chancellor for that particular meeting shall Chair the meeting.

(2) Preferably, the Educationist of Uttarakhand and Chancellor approved three MLAs of the Uttarakhand Legislative Assembly, , will be members in the Board of Governors.

(3) At least seven members of the Board of Governors shall form the quorum for any meeting of the Board of Governors.

(4) All members of the Board of Administration, except ex-officio members, shall be members for a term of 03 (three) years from the date of their appointment and shall be eligible for reappointment;

However, the three honorable members of Legislative Assembly who are members of the Board of Governors shall cease to hold such post of member as soon as they cease to be the member of Legislative Assembly.

(5) The Board of Governors shall meet at least three times in a year at such time and place as the Chancellor finds fit.

(6) It shall be mandatory for the Board of Governors to nominate an observer or observers on the advice and directions of the Chancellor and such observer or observers shall from time to time decide the policy and framework within which the Board of Management, Academic Council, Finance Committee,

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

Examination Committee, Admission Committee, Disciplinary Committee and other such authorities/committees are hereinafter indicated in the present Statutes. They will function and pass resolutions for the proper administration of the University.

The Board of Management

14. (1) The meeting of the Board of Management shall be convened and Chaired by the Vice- Chancellor.

(2) The registrar shall be the Secretary of the Board of Management but shall not have the right to vote in the meetings of the Board of Management.

(3) The Board of Management shall be the executive body of the University.

(4) All the members of Board of Management, other than ex-officio members, shall hold office for a period of three years from the date of their nomination or appointment.

(5) The Board of Management shall have the power of Management and Administration of the revenue and assets of the University and the conduct of all administrative and academic affairs of the University, which is not otherwise provided.

(6) Apart from the above-mentioned statutes and the rules and regulations, the Board of Management shall, in addition to all other powers vested in it have the following powers, namely:

(a) Recommend to create or abolish the teaching and academic posts, to determine the number and emoluments of such posts and to define the duties and conditions of service of teachers and other academic staff and principles of college and institution governed by the University;

Provided the Board of Management may consider the recommendations of the academic council in respect of the number and qualifications of teachers and academic staff working in the University;

(b) If found necessary to appoint such teacher and other academic staff and principal of college and institutions maintained by the University on the recommendations of the selection committee constituted from time to time by the Board of Management for the purpose;

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(c) to recommend academic, administrative and other necessary posts and to make appointment.

(d) to manage and regulate the functions, accounts, investments, property business and all other administrative affairs of the University and for that, appoint an agent (s), as it may deem fit;

(e) to fix limits on the total recurring and the total non-recurring expenditures for a year on the recommendation of the finance committee;

(f) to invest any amount belonging to the University, including any surplus funds in such stocks, funds, shares or securities issued by the Government of India/ State Government from time to time as it may deem fit or in the purchase of any immovable property, with the powers of varying these investments from time to time;

(g) purchase and accept or to sell and transfer of any movable property for or on behalf of the University with the prior consent of Board of Governors.

(h) to provide buildings, premises, furniture, apparatus and other paraphernalia needed for carrying on the work of the University;

(i) to accept, alter, carry out or cancel agreements/contracts on behalf of the University with the prior approval of Shri Vedmata Gayatri Trust;

(j) to entertain, adjudicate upon, and if considered fit, redress any grievance of the employee(s) and students of the University;

(k) to select the common seal, insignia and motto for the University and provide for the custody and use of the same;

(l) to make such proper arrangements for female students as necessary for their accommodation;

(m) to maintain discipline among the students and employees;

(n) to delegate any of its power to the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor, the Deans, the Registrar, the Finance Officer, or such other employee or authority of the University, or to a committee appointed by it as it may deem fit;

(o) to maintain a panel of Auditors for the internal and statutory audit of the Balance Sheets and the annual

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

accounts of the University;

(p) to get the accounts of the University audited internally at such intervals, as it may deem fit;

(q) to confer fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes etc.;

(r) to appoint Visiting Professors, Professors Emeritus, Consultants and Scholars and to determine the terms and conditions of such appointments;

(s) to frame rules and conditions for trainee teachers/ trainee employees with respect to their period of training, stipend and other relevant conditions.

(t) to create, abolish or restructure any department or faculty with the consent of the Chancellor.

(u) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by the Act or the Statute.

(v) to appoint and remove examiner and arbitrator and to decide their fees, emoluments, travelling allowances and other allowances on the recommendation of Academic Council.

(7) Any matter brought before the Board of Management for which is pending or of great importance for the University or which seems to frame the future policy or framework of the University and / or which seems to affect the functioning of the University may be referred by the Board of Management to the Board of Governors along with its remarks and suggestions.

(8) The Board of Management would be empowered to create and appoint any post as subordinate to any officer of the University in the ordinary course of activity to assist him in his work during such officer's presence or absence either as Deputy or as an Assistant.

(9) The Board of Management may, by resolution passed by a majority of its total members i.e. at least seven, delegate such of its powers as it deems fit, to an officer or authority of the University subject to such conditions as may specified in the resolution.

(10) The conduct of business shall be defined as per the Act/by-

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

laws/ordinances/rules framed by the university.

Academic Council

15. (1) The Academic Council shall consist of the following members, namely:-

(a) The Vice-Chancellor of the University- Ex Officio Chairperson.
(b) The Registrar of the University- Ex Officio Secretary
(c) Two Deans nominated by Chancellor
(d) Two Heads of the Departments nominated by The Vice-Chancellor
(e) Five persons of proven accomplishments nominated by Shri Vedmata Gayatri Trust.
(f) Two Professors of the University according to their seniority. These Professors will be nominated by the Chancellor for a period of two years.
(g) Two persons of academic eminence nominated by the Chancellor for a period of three years

(2) All members of the Academic Council, other than the Ex-Officio members, shall hold office for a term of two years from the date of their nominations/appointments.

(3) The conduct of business shall be defined as per the Act/by-laws/ordinances/rules framed by the university

(4) Subject to the provisions of the Act and this Statute, the Academic Council shall have the following powers, namely:

(a) To scrutinize and make its recommendations on proposals submitted by the Board of Studies through the Faculties with regard to the courses of studies and to recommend principles and criterion on which examiners and the evaluators may be appointed, for the consideration of the Board of Management.
(b) To report on any matter referred or entrusted to it by the Board of Governors or the Board of Management;
(c) To advise the Board of Management in regard to the recognition of the diplomas and degrees of other Universities and institutions and in

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

regard to their equivalence with the diplomas and degrees of the University or the Intermediate Examination conducted by the various Education Boards recognised by the University;

(d) To perform in relation to academic matters all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of the Act and the Statutes.

(e) To exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions with respect to modes of instructions, cooperative teaching among colleges and institutions, evaluations and improvements in teaching, research and academic standards;

(f) To bring about inter-institutional co-ordination by establishing or appointing committee or boards, for taking up projects on inter-institutional basis;

(g) To consider matter of general academic interest either on its own initiative or on a reference by a college/faculty/campus or the board of Management or any other body to take appropriate action thereon;

(h) To make recommendation to the Board of Management with regard to:

(i) Creation of teaching posts in the University and different centres maintained by the University and abolition thereof; and

(ii) Classification of the posts referred in item (i) and duties attached thereto.

(i) To formulate and modify or revise Schemes for the organization or faculties and to assign to such Faculties their respective subjects and also to report to the Board of Management as to the creation, abolition or coordination of any Faculty or combination of one Faculty with another;

(j) To promote research within the University;

(k) To consider proposals submitted by the Faculties;

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(l) To grant recognition to diplomas and degrees of other universities and institutions and to determine their corresponding value in respect of diplomas and degrees of the University;

(m) To declare results of the various examinations of the University or appoint committee or officers to do so and to make recommendation regarding the conferment or grant of degrees, honours, diploma, titles etc.

(n) To publish lists of prescribed or recommended textbooks and to publish syllabi of the prescribed courses of study.

(o) To report on any matter referred to it to the Board of Management;

(5) The meeting of the Academic Council shall be convened on the instructions of the Vice-Chancellor;

(6) Copies of the agenda of the meetings called and the extracts of the minutes held therein shall be submitted to the Chancellor at the earliest

The Finance Committee

16. (1) The composition of Finance Committee will be as follows:

(a) The Vice-Chancellor of the University- Ex- Officio Chairperson,
(b) The Finance Officer; Ex- Officio secretary
(c) Secretary of Higher Education to the State Government or a representative nominated by him not below the level of Joint Secretary
(d) one member nominated by the Chancellor;
(e) Three members nominated by Shri Vedmata Gayatri Trust, of whom one person must be a Chartered Accountant;

(2) Any expenditure which could not be considered in the budget/financial estimate, shall be referred by the Finance Officer to the Finance Committee, accordingly as follows:

(a) In the case of non-recurring expenditure if it involves an expenditure of ten thousand rupees or above; and
(b) In the case of recurring expenditure if it invokes an expenditure of three thousand rupees above:

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

Provided that in case of expenditure exceeding Rs. fifty thousand in a single transaction the matter will be referred by the Finance Committee to the Chancellor:

Provided further that it shall not be permissible for any officer or authority of the University to treat an item which has been split into several parts falling under a budget head as several items of smaller amount and withhold it from the Finance Committee.

(3) The annual accounts and the financial estimates of the University prepared by the Finance Officer shall be laid before the Finance Committee for consideration and thereafter the Finance Committee shall submit it to the Board of Management for its recommendation to the Board of Governors.

(4) If the Board of Management, at any time after the consideration of the annual financial estimates, i.e. the budget, proposes any revision therein, involving recurring or non-recurring expenditure of the amounts, then the Board of Management shall refer the proposal to the Finance Committee after consulting the Finance Officer and incorporating suitable modifications and the Finance Committee would be bound to follow such proposal.

(5) The Finance Committee shall consider all items of expenditure and shall make and communicate to the Board of Management, as soon as possible, its recommendations thereon.

(6) All proposals relating to creation of posts and those items which have not been included in the budget shall be examined by the Finance Committee and laid in writing with remarks, before the Board of Management for its consideration.

(7) The conduct of business shall be defined as per the Act/by-laws/ordinances/rules framed by the university

The internal audit report of the accounts shall be referred by the Finance Officer to the Finance Committee for discussion

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

and required necessary action, if any.

The statutory audit report of the accounts will be laid by the Finance Officer before the Finance Committee.

CHAPTER-FIVE
Other Authorities of the University

Other Authorities of the University

17. In addition to the Authorities as defined in section 23 of the Act, the other Authorities of the University shall be as follows, namely:-

(a) Disciplinary Committee;

(b) Departmental Committee;

(c) Examination Committee;

(d) Admission Committee;

(e) Boards of Studies;

Disciplinary Committee

18. (1) The Board of Management shall constitute, for such term as it deems fit, a Disciplinary Committee in the University, which shall consist of three persons nominated by it:

Provided, that if the Board of Management considers it expedient, it may constitute more than one such Committee to consider different cases or class of cases.

(2) No teacher, against whom any case involving disciplinary action is pending, shall serve as member of the disciplinary Committee dealing with the case

(3) The Board of Management may at any stage, either *suo moto* or on an application made to it, transfer any case from one Disciplinary Committee to another Disciplinary Committee.

(4) The functions of the Disciplinary Committee shall be as follows:-

(a) To hold inquiry into cases involving disciplinary action against an academic staff, any other staff or Librarian etc. of the University.

(b) To recommend suspension of any teacher or officer, referred to in the abovementioned

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

clause (a) pending or in contemplation of inquiry against such teacher or officer,

(c) In case of the disputes of the students, the Disciplinary Committee shall enquire into the matter and forward its report to the Vice-Chancellor who shall take necessary action;

(d) To exercise such other powers and perform such other functions as may, from time to time, be entrusted to it by the Board of Management.

(5) In case of difference of opinion among members of the committee, the decision of the majority shall prevail.

(6) The decision of the Disciplinary Committee shall be laid before the Board of Management as early as possible.

(7) Copies of agenda of the meetings called and copies of the extract of the minutes held shall be submitted to the Chancellor.

Departmental Committee

19. (1) There shall be a Departmental Committee in each Department of teaching in the University to assist the Head of the Department.

(2) The Departmental Committee shall consist of:

(a) The Head of the Department, who shall be the Chairperson

(b) All Professors in the Department, and if there is no Professor, then all Associate Professors in the Department.

(c) In a Department which has Professors as well as Associate Professors, then two Associate Professors by rotation according to seniority for a period of two years.

(d) In a Department which has Associate Professors as well as Assistant Professors, then one Assistant Professor and in a department which has no Associate Professor, then two Assistant Professors, by rotation according to seniority for a period of two years:

Provided that for any matter

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

specifically, concerning any subject or specialty, the senior-most teacher of that subject or specialty, if not already included in the foregoing heads, shall be specially invited for that matter.

(3) The following shall be the functions of the Departmental Committee:

(a) To make recommendations regarding distribution of teaching work among the teachers of the department.
(b) To make suggestions regarding co-ordination in research and other activities in the Department.
(c) To make recommendations regarding appointment of staff in the Department.
(d) To consider matters of general and academic interest to the Department.

(4) The Departmental committee shall meet at least once in a quarter. The minute of its meeting shall be submitted to the Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor

(5) Copies of agenda of the meetings called and copies of the extract of the minutes held shall be submitted to the Chancellor.

Examination Committee

20. (1) The composition of Examination Committee shall be as follows:

(a) The Vice-Chancellor of the University- Chairman
(b) Two Deans/ Principals on the basis of seniority for a period of two years.
(c) Two professors on the basis of their seniority who are not holding the post of Dean/Principal
(d) One Associate Professor for a period of two years
(e) Registrar-Ex-Officio Secretary

(2) The examination committee shall be responsible for the entire examination work of the University and shall work under the immediate control of the Board of Management.

(3) The Examination Committee may on the recommendation of the sub-committee debar an examinee from appearing in the

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

examination when such examinee is found guilty of misbehavior or of using unfair means any examination conducted by the University

(4) Copies of agenda of the meetings called and copies of the extract of the minutes held shall be submitted to the Chancellor.

Admission Committee

21. (1) The composition of Admission Committee shall be as follows:

(a) The Vice-Chancellor of the University- Chairperson,
(b) Two Deans/Principals on the basis of seniority for a period of two years,
(c) one person nominated by the Finance Officer,
(d) Registrar –Officio Ex-Secretary,
(e) One member nominated by Chancellor,
(f) Two members nominated by Shri Vedmata Gayatri Trust,

(2) The Admission Committee shall be responsible for entire admission related work in the University and shall work under the immediate control of Board of Management.

(3) Copies of agenda of the meetings called and copies the extract of the minutes held shall be submitted to the Chancellor.

Boards of Studies

22. (1) There shall be a Board of Studies for each course programme, which is prescribed for degree, diploma or certificate The Academic Council may, with the concurrence of the Board of Management, empower the same Board of studies to deal with two or more allied subjects, whether assigned to the same Faculty or to different faculties

(2) A Board of Studies shall be constituted as follows:

(a) One person nominated by the Chancellor,
(b) Dean of the Academics (Convener)
(c) Two persons, expert of the subject, nominated by the Vice-Chancellor,
(d) Two teachers of the concerned department, by rotation and in order of seniority.

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(3) Members of the Board of Studies shall hold office for a period of three years. In the event of a vacancy occurring during the term of the Board, new member shall be appointed for the remaining period of the tenure of the Board.

(4) The Board of Studies shall have the following functions:

(a) to initiate proposals regarding new courses of study and make suitable changes in the existing course.

(b) to recommend suitable persons for inclusion in the list of persons eligible for appointment as Internal and External Examiners for the various degrees, diploma and certificates.

(5) At least fifty percent members of the Board are required to form the quorum of meeting.

(6) Every Board shall meet at least once in a year to draw up courses of study for the various examinations with which it is concerned. The courses will be drawn up at least six months ahead of the examination, for which they are intended to be prescribed.

(7) Comments and/or proposals, if any, received from members of the Academic Council, Board of Management or Board of Governors shall be forwarded to the Convener for necessary action.

(8) All the decisions and resolutions passed by the Board shall be put before the Academic Council for its final approval. If the meeting of the Academic Council does not take place before the commencement of the semester for which the course have been drawn, the Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor will be empowered to order the implementation of the decision of the Board, in anticipation of the approval of Academic Council and as soon as the first such meeting of the Academic Council is held, all such decision and resolution of the Board of Studies shall be placed before the Academic Council for its approval.

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

CHAPTER-SIX

The Mode of Recruitment, terms and Conditions of Service of the Other officers, teachers and employees of the University

Method of appointment and conditions of service

23. The criteria of eligibility for the appointment of officers, academic personnel, administrative personnel and other employees shall be such as may be prescribed by the service rules.

Classification of teachers

24 (1) There shall be following classes of teachers of the University

(a) Professors,
(b) Associate Professors,
(c) Assistant Professors,

(2) Teachers of the University, shall be appointed as per the norms of University Grants Commission and other regulatory bodies. All the appointment, salaries and emoluments of the teachers shall be in accordance with the by-laws and statutes of the University.

Leave Rules for Teachers of the University

25. (1) Leave shall be of the following categories:

(a) Casual leave
(b) Privilege leave
(c) Medical leave
(d) Extraordinary leave
(e) Maternity leave

(2) **Casual leave** shall be granted on full pay for not more than 5 days in a month or 10 days (including two local holidays) in an academic session of twelve months and shall not accumulate. It will not ordinarily be combined with other holidays, but in special circumstances the Vice-Chancellor may waive this condition for reasons to be recorded in writing.

(3) **Privilege leave** may be on full pay for ten working days in an academic session and may accumulate up to a maximum of 30 working days.

(4) **Medical leave** may be granted for upto not more than 15 days in one academic session on half pay, subject to the

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

production of valid medical certificate.

(5) **Extraordinary leave**shall be without pay It may be granted for such reasons as the Board of Management may deem fit, for a period not exceeding three months initially, but may be extended for a period not exceeding six months including the earlier three months under specified circumstances.

(6) **Maternity leave**be granted on full pay to female teacher for a period which may extend up to 6 months from the date of its commencement or to 12 weeks from the date of confinement, whichever is earlier:

Provided that such leave shall not be granted for more than one time during a single period of employment of the teacher.

(7) Leave cannot be claimed as a matter of right. If the necessity of the occasion demand, the sanctioning authority may refuse leave of any kind and may even cancel the leave already granted.

(8) The authority competent to grant leave will be the Vice-Chancellor, except in the case of extraordinary leave, which will be granted by the Board of Manamement.

Code of Conduct for Teachers/Employees

26. Every teacher employee, conscious of his responsibilities and trust placed in him to mould the character of the youth and to advance knowledge, intellectual freedom and social progress, is expected to realise that he can fulfill the role of moral leadership more by example than by precept, through a spirit of dedication, moral integrity and purity in thought, word and deed,

Now, therefore, in keeping with the dignity of his calling, the following code of conduct is hereby laid down to be truly and faithfully observed by all teachers and employees of the University-

(a) every teacher/employee shall perform his duties, assigned or implied, with absolute integrity and devotion;

(b) no teacher/employee shall show any partiality or bias in the assessment of the students, nor shall he oppress anyone;

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(c) no teacher/employee shall incite one student against another, or against his colleagues or the Alma Mater;

(d) no teacher/employee shall discriminate against any student on grounds of caste, creed, sect, religion, sex, nationality or language. He shall also discourage such tendencies amongst his colleagues, subordinates and students and shall not try to use the above considerations for the improvement of his own prospects;

(e) no teacher/employee shall refuse to carry out the decision of the appropriate bodies and functionaries of the University or the college, as the case may be;

(f) no teacher/employee shall divulge any confidential information relating to the affairs of the University or college, as the case may be to any person;

(g) no teacher/employee of the University/College shall guide the student (s) through tuitions, lectures or teaching classes after the regular classes in the college for monetary gain;

(h) no teacher shall take undertake any job other than what has been engaged by the University/College;

(i) no teacher/employee shall undertake any job for monetary gain, other than what has been assigned to him by the University College;

(j) no teacher employee of the University College shall involve himself in lobbying of any kind in the University;

(k) no teacher/employee of the University College shall take part in active politics;

(l) no teacher/employee of the University/College shall engage himself in political activities, viz. nomination or fighting for election for the Parliament, State Legislatures, local bodies or co-operative bodies;

(m) no teacher/employee of the

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

University/College shall take part in any kind of strike, agitation, dharna, illegal and immoral slogan shouting and wall writing or painting or instigate any student or co-teacher/collage to take part in any such activities;

(n) no teacher/employee of the University College shall take part in any type of activity pertaining to unionism during the working hours in University campus premises;

(o) no teacher/employee of the University/College will collect any donation for union or association while on duty;

(p) no teacher/employee of the University/College shall deliver any speech which is derogatory to the interest or against the objects of the University/College;

(q) no teacher/employee of the University/College will involve himself in any act which is against the law of the land;

(r) no teacher/employee of the University/College will involve himself in any act which is against the moral values of an average human being;

(s) no teacher/employee of the University College will involve himself in the business of lending of money on interest;

(t) no teacher/employee of the University College shall consume liquor or smoke tobacco in any form or engage in drug abuse or chew any pan masala or gutkha or take any kind of intoxicant;

(u) every teacher/employee of the University/College shall participate in daily prayer, meetings, yagya, hawan etc. programme conducted by the University;

(v) every teacher/employee of the University/College shall strictly follow the code of conduct of the uniform to be worn in the University or colleges as per rules;

(w) no teacher/employee of the University College shall engage himself in any such

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

activity, which is against the objects of the University and which can be treated as a misconduct in the opinion of the Board of Management. In this regard the finding of the Board of Management will be final and binding.

Removal of the employees of the university/college

27. (1) Where there is an allegation of misconduct against any employee of the University College, the Authority competent to appoint such employee (hereinafter referred to as the appointing authority), may, by an order in writing, place such employee of the University under suspension and report the circumstances, in which the order was made to the Board of Management:

Provided that the Board of Management may, if it is of the opinion that the circumstances of the case do not warrant the suspension of employee, revoke such order.

(2) Notwithstanding anything contained in the terms of the contract of appointment or of any other terms and conditions of service of the employees, the appointing authority in respect of employees, shall have the power to remove an employee on grounds of misconduct.

(3) Save as aforesaid, the appointing authority may remove an employee, after giving one month's notice, or on payment of one month's salary in lieu thereof.

(4) All powers relating to discipline and disciplinary action shall rest with the appointing authority.

(5) Where the employee is under suspension at the time of his removal, such removal shall take effect from the date on which he was placed under suspension.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Statutes, an employee may resign-

(a) If he is a permanent employee only after giving three months' notice in writing to the appointing authority or by paying three months' salary in lieu thereof,

(b) If he is not a permanent employee, only after giving one month's notice in writing to the appointing authority or by paying one

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

month's salary in lieu thereof:

Provided that such resignation shall take effect only on the date on which the resignation is accepted by the appointing authority as the case may be.

(7) If an employee is placed under suspension pending enquiry, he will be paid subsistence allowance during the period of such suspension as per rules in this respect.

(8) An employee under suspension must be issued charge sheet within two months from the date of suspension.

(9) If the disciplinary authority/appointing authority contrary to on the of enquiry report, proposes to impose major penalty or any other disciplinary action, then in such case the said employee shall be issued a Show Cause Notice.

(10) If the disciplinary authority/appointing authority proposes to take or initiate any major penalty or any other disciplinary action against the employee, which is contrary to the findings of Enquiry Officer, then such order for initiating major penalty or any other disciplinary action, must give reasons thereof.

(11) The disciplinary authority appointing authority may also impose minor penalties against erring employees, according to rules.

(12) The employee, against whom any action initiating or imposing major penalty or any other disciplinary action has been taken, may prefer an appeal before the next senior authority against the order of the authority who has issued such order,

(13) During the pendency of any dispute or enquiry, the charged employee may resign but such resignation shall be subject to the acceptance of the appoint

Arbitration Tribunal 28. (1) An Arbitration Tribunal could be formed for the settlement of the disputes arising out of the contracts or otherwise between employees/teachers and the University.

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(2) The Arbitration Tribunal could be formed each time when any dispute arises and would be dissolved with the settlement of the dispute.

(3) The Arbitration Tribunal would comprise of one member appointed by the Board of Management and one member nominated by the employee/teacher concerned and an umpire appointed by the Chancellor.

(4) In case of any dispute being referred to the Arbitration Tribunal, the decision of the tribunal in such matter shall be final and binding on both the parties.

(5) The tribunal shall, on being any dispute referred to it, give proper opportunity of hearing to the employee/ teacher concerned of the University,

(6) If in case any employee/teacher after referring any dispute to the tribunal fails to appear before the tribunal for presenting his case, the tribunal may proceed to hear the dispute expurte.

(7) The tribunal after hearing the dispute in the prescribed manner shall pass a decision and cause the copy of such decision to be affixed on the notice board of the office of the University and the date of fixing of such decision on the notice board shall be deemed to be the date of knowledge of the decision to the employee/teacher, concerned.

(8) The Tribunal while deciding any dispute shall keep in mind the fact of maintaining proper discipline of the University and safeguarding the just interest of the employee/teacher concerned.

(9) The Tribunal shall hear and decide the disputes referred to it by sitting in the University premises only.

(10) The opinion of the umpire of the tribunal would prevail in case of any difference while deciding any dispute referred to it.

Appeals

29. (1) An Appeal would be maintainable against the decision of any Officer or Authority of the University or of the Principal of any constituent college if it prejudices any

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव

employee/teacher or student of the University of such Constituent College and is preferred before the Board of Management within seven days of service of such decision.

(2) The Board of Management on presentation of any appeal in substatutes (1) shall appoint an Appellate Committee of three members to hear and decide such appeal.

(3) The Appellate Committee described in substatutes (2) shall consist of Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor or any member nominated by him to represent him, one member from the five persons nominated by Shri Vedmata Gayatri Trust in the Board of Management and one any other member of the Board of Management.

(4) The appellate committee would generally hear the appeal within the premises of the University only.

(5) In case of difference of opinion in deciding the appeal the majority decision will prevail.

(6) If in case any employee/teacher or student of any constituent college after presenting any appeal before the Board of Management fails to appear before the appellate committee for explaining his grievance with the decision passed against him, the Board of Management may proceed to hear the appeal ex-parte.

(7) The appellate committee after hearing the appeal in the described manner shall decide the appeal and cause the copy of such decision to be affixed on the notice board of the office of the University and the date of affixation of such decision on the notice board shall be deemed to be the date of information of the decision of appeal to concerned employee/teacher or student of constituent college.

(8) The appellate committee while hearing an appeal shall be concerned with the wider aspect of the dispute and would not go into minor details and technical errors.

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

CHAPTER-SEVEN
Disciplinary action against students

Maintenance of Discipline Among Students University

30. (1) All powers relating discipline &disciplinary action related to students of the University shall be vested upon the Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor, who shall act either *suo motoo*r on the report of the disciplinary committee of the University.

(2) The Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor may delegate all or any of his powers, as he deems proper to a Proctor or to such other officer as he may specify in this behalf.

(3) Without prejudice to general powers of Vice-Chancellor relating to the maintenance of discipline and taking such action, as may seem to him appropriate for the maintenance of discipline, the Vice-Chancellor may in exercise of his powers, by order direct that any student or students be expelled or rusticated for a specified period or not be admitted to a course or courses of study in a Department. School or Department of the University for a stated period or be punished with fine of an amount to be specified in the order or be debarred from taking part in an examination or examinations conducted by the University College, Institution or Department or a School for one or more years, or that the results of the student or students concerned in the examination or examinations in which he or they have appeared be withheld or cancelled.

(4) The Principals of Colleges and Institutions, Deans of Schools of Studies and Heads of Departments in the University shall have the authority to exercise all such powers over the students in their respective Colleges, Institutions, Schools and Teaching Departments in the University as may be necessary for the proper conduct of such Colleges, Institutions, Schools and Teaching Departments.

(5) Without prejudice to the powers of the Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellors, the Deans and other persons detailed rules

(एम0एम0सेनवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

of discipline and proper conduct shall be made by the University. The Deans of Schools of Studies and Head of Teaching Departments in the University may also make such supplementary rules as they may deem necessary for the aforesaid purposes.

(6) At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration to the effect that he submits himself to the disciplinary jurisdiction of the Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor and other authorities of the University

CHAPTER-EIGHT

The procedure for conferment of honorary degrees

Convocation

31. (1) A Convocation for conferring its degrees, diplomas, and other academic distinctions may be held by the University on such date and at such time as the Board of Management may fix.

(2) A Special Convocation may be held by the University with the prior approval of the Chancellor.

(3) The Convocation shall consist of the persons decided by the Board of Management from time to time.

(4) The procedure to be observed at the Convocations referred to in this Chapter and other matters connected therewith shall be such as may be laid down in the Rules.

(5) Where the University does not find it convenient to hold the convocation in accordance with Statutes, the degrees, diplomas and other academic distinctions may be handed over personally or dispatched to the candidates concerned

Honorary Degrees

32. (1) The Board of management may, on the recommendation of the Academic Council and by a resolution passed by a majority of not less than two-third of the members present and voting make proposals to the Chancellor for the conferment of honorary degrees.

(2) The Board of Management may, by a resolution passed by a majority of not less than two-third of the members present and voting, may propose the withdrawal of any honorary degree conferred on any person by the University:

Provided that resolution for withdrawal of honorary

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

degree shall be subject to approval of the the Chancellor.

Withdrawal of Degree Diploma Certificate

33. The Board of Management may, by a special resolution passed by a majority of not less than two-third of the members present and voting, withdraw any degree or academic distinction conferred on, or any certificate or diploma granted to any person by the University for good and sufficient cause:

Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to that person, calling upon him to show cause within such time, as may be specified in the notice, why such a resolution shall not be passed and such resolution shall be passed only after considering the objections and evidence-if any submitted by such person.

CHAPTER-NINE

Grant of freeships and scholarships, insstitution of fellowships, studentships, freeships, fee, waivers, medals and prizes

Institution of Fellowships, Scholarships, Stipends, Medals and Prizes

34. (1) On conditions laid down in the rules, the Board of Management, on the recommendations of the Academic Council and out of the funds of the University or out of donations received may Institute Fellowships, Scholarships, Stipends, Medals or Prizes for the recognition, promotion or encouragement of studies, research or any other desirable quality.

(2) The awards shall be made on the recommendation of committee appointed for the purpose.

(3) The appointment of the aforesaid Committee and the manner of laying down the awards shall be provided by rules.

CHAPTER-TEN

Fee chargeable from students for various educational courses

Fee chargeable from students for various courses

35. (1) Every student registered for a course shall be charged with a fee as fixed by the Admission and Fee Regulatory Committee.

(2) The tuition fee recommended by the Admission and Fee Regulatory Committee shall be the maximum chargeable

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

tuition fee for that course and shall be valid for a period of 03 (three) academic sessions. After the expiry of three years, the University will be free to apply for revision of fees.

(3) Tuition Fees from registered students shall be charged annually/half yearly on or before a date prescribed by the constituent college/department of the University.

(4) The fee for other academic distinctions shall be as determined by the board of management.

(5) Any matter related to refund of fees shall be referred to the Board of Management who shall decide the matter as per the National and State policy & the guidelines of the regulatory authority

CHAPTER-ELEVEN
Miscellaneous

Deputation of samaydanis by shri vedmata gayatri trust

36. (1) Shri Vedmata Gayatri Trust shall depute any number of samaydanis (Time Donors those who voluntarily and regularly give their time for furthering the activities of Shri Vedmata Gayatri Trust, created by Vedmoorti Taponishth Pandit Shriram Sharma Acharya and Mata Bhagwati Devi Sharma, both the founders of Gayatri Pariwar) on the terms & conditions fixed by the Trust, to the University College for assisting it in its day-to day administration, studies or any other activity. Such appointment will not be formal. They would be attached with any authority officers on discretion of the committee comprising of the Chancellor, Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor, Registrar and two nominees of Shri Vedmata Gayatri Trust

(2) Such samaydanis shall never have any kind of master and servant relationship with the University/College. However, such Samaydanis shall follow the rules and regulations of the University during the tenure of their deputation thereto.

(3) On the recommendation of the University College, or even on its own, Shri Vedmata Gayatri Trust shall enjoy the exclusive power to recall any of its samaydanis from the University/College, as and when required or deemed

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

necessary by it.

(4) Any dispute regarding the activities of samaydanis in the University/College, shall be referred, along with its report, by the University to Shri Vedmata Gayatri Trust, which shall take necessary action in the manner.

Disqualification from being any officer. Member of any committee or authority of univetrsity.

37. (1) A person shall be disqualified from being chosen as, and from being an officer or a member of any committee/authority of University, if he:

(a) is of unsound mind,
(b) is an undischarged insolvent,
(c) has been convicted by a court of law of an offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than three months.
(d) is found guilty of misconduct by the Board of Management under this Statutes and Rules and Regulations there under.

(2) If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications mentioned in substatute (1) (a), (b), (c) and (d) above the question shall be referred to the Board of Management and its decision shall be final and no suit or other proceeding shall lie in any civil court against such decision

Honorary Services

38. The University may, subject to its requirement in any field, accept the services of such persons who are voluntarily willing to work without any pay and on honorarium on the terms and conditions of the University and such services shall not come under the purview of master and servant relationship in any manner.

(एम0एम0सेमवाल)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन